

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2019—ज्येष्ठ 17, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मई 2019

क्र. एफ-1(ए)87-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री अरविन्द कुमार सक्सेना, भापुसे, सहा. पुलिस महानिरीक्षक (विधि), अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष दिनांक 28 मई से 6 जून 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण के अन्तर्गत इन्दौर-बैंगलूरु-पोर्ट-

ब्लेयर की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री अरविन्द कुमार सक्सेना	—	स्वयं
2.	श्रीमती शिखा सक्सेना	—	पत्नी
3.	कु. जान्हवी सक्सेना	—	पुत्री
4.	रोहिल सक्सेना	—	पुत्र

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री अरविन्द कुमार सक्सेना, भापुसे का चालू कार्य श्री महावीर सिंह मुजाल्दे, रापुसे, सहा. पुलिस महानिरीक्षक (जे.) अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार सक्सेना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहा. पुलिस महानिरीक्षक (विधि), अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अरविन्द कुमार सक्सेना, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अरविन्द कुमार सक्सेना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द कुमार सक्सेना, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 157-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री जी. जनार्दन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/निदेशक जेएनपीए, सागर को स्वयं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु हैदराबाद जाने के लिए दिनांक 15 से 24 अप्रैल 2019 तक, दस दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते में से बीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. जनार्दन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/निदेशक जेएनपीए, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री जी. जनार्दन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जनार्दन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 24 मई 2019

क्र. एफ-1 (ए) 176-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन, बालाघाट को दिनांक 27 मई से 15 जून 2019 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26 मई 2019 व 16 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आर. एस. डहेरिया, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, बालाघाट रेन्ज, बालाघाट द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)193-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक सर्तकता/अनुसंधान एवं विकास, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 10 से 22 जून 2019 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 व 23 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक सर्तकता/अनुसंधान एवं विकास, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 25 मई 2019

क्र. एफ-1(ए)-69-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री संजय तिवारी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेन्ज (ग्रामीण) को दिनांक 27 मई से 1 जून 2019 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26 मई 2019 व 02 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री संजय तिवारी, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री एम. एस. वर्मा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक,

निमाड़ रेन्ज, खरगोन द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय तिवारी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेन्ज (ग्रामीण) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजय तिवारी, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजय तिवारी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय तिवारी, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 मई 2019

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)-2721-2019.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)13, दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83 और 86 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“3	श्री राकेश सनोडिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, अनूपपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश.	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	श्री कृष्णपाल सिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, कोतमा.	कोतमा	अनूपपुर	कोतमा	कोतमा
5	श्री अंकित श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, अशोकनगर के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर
6	श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, चन्देरी.	चन्देरी	अशोकनगर	चन्देरी	चन्देरी
7	श्री राजेश शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बालाघाट.	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट
8	श्री मोहम्मद जफर खान, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सेंधवा.	सेंधवा	बड़वानी	सेंधवा	सेंधवा
10	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मुलताई.	मुलताई	बैतूल	मुलताई	मुलताई
11	श्री सैयद दानिश अली, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भिण्ड.	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड
15	श्री धीरेन्द्र सिंह मंडलोई द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बुरहानपुर.	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर
17	श्रीमती बरखा दिनकर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बिजावर.	बिजावर	छतरपुर	बिजावर	बिजावर
18	श्री प्रदीप कुमार सोनी, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
19	श्री जंगबहादुर सिंह राजपूत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, पांडुर्णा.	पांडुर्णा	छिन्दवाड़ा	पांडुर्णा	पांडुर्णा
20	श्री रवि नायक, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, दमोह के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.	दमोह	दमोह	दमोह	दमोह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	श्री शरद कुमार लटोरिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, हटा.	हटा	दमोह	हटा	हटा
22	श्रीमती गुंजन शर्मा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, दतिया.	दतिया	दतिया	दतिया	दतिया
23	श्री लोकेश सिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सेवड़ा.	सेवड़ा	दतिया	सेवड़ा	सेवड़ा
25	श्री विवेक बुखारिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, कन्नौद.	कन्नौद	देवास	कन्नौद	कन्नौद
26	श्री राहुल वर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, धार के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	धार	धार	धार	धार
27	श्री प्रियंक दुबे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मनावर.	मनावर	धार	मनावर	मनावर
31	श्री परमानंद चौहान, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, चाचौड़ा.	चाचौड़ा	गुना	चाचौड़ा	चाचौड़ा
34	श्री अमित नगाईच, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, हरदा.	हरदा	हरदा	हरदा	हरदा
36	श्री मनीष अनुरागी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सोहागपुर.	सोहागपुर	होशंगाबाद	सोहागपुर	सोहागपुर
37	श्री विपिन सिंह भदौरिया, तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इन्दौर.	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर
39	श्री सुधांशु सिन्हा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, पाटन.	पाटन	जबलपुर	पाटन	पाटन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40	श्री राजकुमार चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, झाबुआ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ
41	श्री जय पाटीदार, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, थांदला.	थांदला	झाबुआ	थांदला	थांदला
42	श्री राघवेन्द्र पटेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, कटनी के अतिरिक्त न्यायाधीश.	कटनी	कटनी	कटनी	कटनी
43	श्री विशाल शर्मा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मण्डला.	मण्डला	मण्डला	मण्डला	मण्डला
44	श्री आलोक प्रताप सिंह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मंदसौर.	मंदसौर	मंदसौर	मंदसौर	मंदसौर
45	श्री कमलेश भरकुंदिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, गरोठ के अतिरिक्त न्यायाधीश.	गरोठ	मन्दसौर	गरोठ	गरोठ
47	श्री आशीष श्रीवास्तव (जूनि.) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, अम्बाह.	अम्बाह	मुरैना	अम्बाह	अम्बाह
49	श्री भूपेश कुमार मिश्रा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, गाडरवारा के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	गाडरवारा	नरसिंहपुर	गाडरवारा	गाडरवारा
50	श्री सदाशिव दांगोदे, द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश से प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, नीमच.	नीमच	नीमच	नीमच	नीमच
51	श्री धर्म कुमार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, मनासा.	मनासा	नीमच	मनासा	मनासा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
52	श्री आशीष कुमार केशरवानी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, पवई.	पवई	पन्ना	1. पवई. 2. पन्ना	1. पवई. 2. पन्ना
53	श्री जयप्रताप चिडार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, रायसेन.	रायसेन	रायसेन	रायसेन	रायसेन
54	कुमारी वर्षा सूर्यवंशी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बरेली.	बरेली	रायसेन	बरेली	बरेली
55	श्रीमती प्राची उपाध्याय, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, ब्यावरा.	ब्यावरा	राजगढ़	1. ब्यावरा 2. राजगढ़	1. ब्यावरा 2. राजगढ़
58	श्री योगीराज पाण्डे द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, रीवा.	रीवा.	रीवा.	रीवा.	रीवा.
59	श्री सतीश वासुनिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सिरमौर.	सिरमौर	रीवा	सिरमौर	सिरमौर
62	श्री गौरव प्रज्ञानंद, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सतना.	सतना	सतना	सतना	सतना
63	श्री द्वारका प्रसाद सूत्रकार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, नागौद.	नागौद	सतना	नागौद	नागौद
64	श्री युगल रघुवंशी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सीहोर के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	सीहोर	सीहोर	सीहोर	सीहोर
65.	श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बुदनी.	बुदनी	सीहोर	बुदनी	बुदनी
66	सुश्री स्नेहा सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सिवनी.	सिवनी	सिवनी	सिवनी	सिवनी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
67	श्री अरविन्द सिंह टेकाम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, लखनादौन.	लखनादौन	सिवनी	लखनादौन	लखनादौन
68	श्री विवेक कुमार सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शहडोल.	शहडोल	शहडोल	शहडोल	शहडोल
69	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, (जूनि.) व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जयसिंहनगर.	जयसिंहनगर	शहडोल	जयसिंहनगर	जयसिंहनगर
70	श्री महेश कुमार माली, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शाजापुर.	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर
71	श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, आगर के अतिरिक्त न्यायाधीश.	आगर	शाजापुर	आगर	आगर
72	श्री रविन्द्र गुप्ता, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, श्योपुर.	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर
73	कुमारी शैलजा गुप्ता, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शिवपुरी.	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी
74	श्रीमती मंजुला पाण्डे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, करेरा.	करेरा	शिवपुरी	करेरा	करेरा
75	श्री संजय वर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सीधी.	सीधी	सीधी	सीधी	सीधी
76	श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मझौली.	मझौली	सीधी	मझौली	मझौली
77	श्री तेजप्रताप सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बैढन के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.	बैढन	सिंगरौली	बैढन	बैढन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
79	श्री रविशंकर डोहरे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, निवाड़ी.	निवाड़ी	टीकमगढ़	निवाड़ी	निवाड़ी
82	श्री रोहित कटारे, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, उमरिया.	उमरिया	उमरिया	उमरिया	उमरिया
83	श्री रविकांत सोलंकी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, विदिशा.	विदिशा	विदिशा	विदिशा	विदिशा
86	श्रीमती ज्योत्सना आर्य, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भीकनगांव के अतिरिक्त न्यायाधीश.	भीकनगांव	मण्डलेश्वर	भीकनगांव	भीकनगांव

F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(1)-2721-2019.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(I)-13, dated 10th May, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th May 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83 and 86 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Shri Rakesh Sandiya, Additional Judge to Ist Civil Judge, Class-I, Anuppur.	Anuppur	Anuppur	Anuppur	Anuppur
4	Shri Krishnapal Singh Civil Judge Class-I Kotma.	Kotma	Anuppur	Kotma	Kotma
5	Shri Ankit Shrivastava, IInd Additional Judge to Ist Civil Judge, Class-I, Ashoknagar.	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Shri Rajendra Kumar, Ahirwar, Civil Judge, Class-I, Chanderi.	Chanderi	Ashloknagar	Chanderi	Chanderi
7	Shri Rajesh Sharma, IInd Civil Judge, Class-I, Balaghat.	Balaghat	Balaghat	Balaghat	Balaghat
8	Shri Mohd. Jafar Khan, Civil Judge, Class-I, Sendhwa.	Sendhwa	Barwani	1. Sendhwa 2. Barwani	1. Sendhwa 2. Barwani*
10	Smt. Ranjeeta Rao Solanki, Ist Civil Judge, Class-I, Multai.	Multai	Betul	Multai	Multai
11	Shri Sayed Danish Ali, IInd Civil Judge, Class-I, Bhind.	Bhind	Bhind	Bhind	Bhind
15	Shri Dheerendra Singh Mandloi, IInd Civil Judge Class-I, Burhanpur.	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur
17	Smt. Barkha Dinkar, Ist Civil Judge, Class-I, Bijawar.	Bijawar	Chhatarpur	Bijawar	Bijawar
18	Shri Pradeep Kumar Soni, IVth Civil Judge, Class-I, Chhindwara.	Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara
19	Shri Jangbahadur Singh Rajput, Civil Judge, Class-I, Pandurna.	Pandurna	Chhindwara	Pandurna	Pandurna
20	Shri Ravi Nayak, Ist Additional Judge to I, Civil Judge Class-I, Damoh.	Damoh	Damoh	Damoh	Damoh
21	Shri Sharad Kumar, Latoriya, Civil Judge, Class-I, Hatta.	Hatta	Damoh	Hatta	Hatta
22	Smt. Gunjan Sharma, IVth Civil Judge, Class-II, Datia.	Datia	Datia	Datia	Datia
23	Shri Lokesh Singh, Civil Judge, Class-I, Seodha.	Seodha	Datia	Seodha	Seodha

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	Shri Vivek Bukhariya, IInd, Civil Judge, Class-I, Kannod.	Kannod	Dewas	Kannod	Kannod
26	Shri Rahul Verma, IIIrd Additional Judge to I, Civil Judge, Class-I, Dhar.	Dhar	Dhar	Dhar	Dhar
27	Shri Priyank Dubey, Ist Civil Judge Class-I, Manawar.	Manawar	Dhar	Manawar	Manawar
31	Shri Parmanad Chauhan, Civil Judge, Class-I, Chachoda.	Chachoda.	Guna	Chachoda	Chachoda
34	Shri Amit Nagaich, IIIrd Civil Judge, Class-I, Harda.	Harda	Harda	Harda	Harda
36	Shri Manish Anuragi, Civil Judge, Class-I, Sohagpur.	Sohagpur	Hoshangabad	Sohagpur	Sohagpur
37	Shri Vipin Singh Bhadoriya, XIIIth Civil Judge, Class-I, Indore.	Indore	Indore	Indore	Indore
39	Shri Sudhanshu Sinha, Ist Civil Judge, Class-I, Patan.	Patan	Jabalpur	Patan	Patan
40	Shri Rajkumar Chouhan, IInd Additional Judge to I, Civil Judge, Class-I, Jhabua.	Jhabua	Jhabua	Jhabua	Jhabua
41	Shri Jay Patidar, Civil Judge Class-I, Thandla.	Thandla	Thandla	Thandla	Thandla
42	Shri Raghvendra Patel, Additional Judge to I, Civil Judge, Class-I, Katni.	Katni	Katni	Katni	Katni
43	Shri Vishal Sharma, IVth Civil Judge, Class-I, Mandla.	Mandla	Mandla	Mandla	Mandla
44	Shri Alok Pratap Singh, IVth Civil Judge, Class-I, Mandsaur.	Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45	Shri Kamlesh Bharkundiya, Additional Judge to Ist Civil Judge, Class-I, Garoth.	Garoth	Mandsur	Garoth	Garoth
47	Shri Ashis Shrivastava (Jr.), Ist Civil Judge, Class-I, Ambah.	Ambah	Morena	Ambah	Ambah
49	Shri Bhupesh Kumar Mishra, IInd Additional Judge to Ist, Civil Judge Class-I, Gadarwara.	Gadarwara	Narsinghpur	Gadarwara	Gadarwara
50	Shri Sadashiv Dangode, IInd Additional Judge to Ist Civil Judge, Class-I, Neemuch.	Neemuch	Neemuch	Neemuch	Neemuch
51	Shri Dharam Kumar, IInd Civil Judge, Class-I, Manasa.	Manasa	Neemuch	Manasa	Manasa
52	Shri Ashish Kumar Kesharwani, Civil Judge, Class-I, Pawai.	Pawai	Pawai	1. Pawai 2. Panna	1. Pawai 2. Panna*
53	Shri Jaipratap Chidar, IInd Civil Judge, Class-I, Raisen.	Raisen	Raisen	Raisen	Raisen
54	Ku. Varsha Suryawanshi, IInd Civil Judge Class-I, Bareli.	Bareli	Bareli	Bareli	Bareli
55	Smt. Prachi Upadhyay, Civil Judge Class-I, Biaora.	Biaora	Rajgarh	1. Biaora 2. Rajgarh	1. Biaora 2. Rajgarh*
58	Shri Yogiraj Pandey, IInd Civil Judge Class-I, Rewa.	Rewa	Rewa	Rewa	Rewa
59	Shri Satish Vasuniya, Ist Civil Judge, Class-I, Sirmour.	Sirmour	Rewa	Sirmour	Sirmour
62	Shri Gaurav Pragyanad, VIIth Civil Judge Class-I, Satna.	Satna	Satna	Satna	Satna
63	Shri Dwarka Prasad Sutrar, Ist Civil Judge, Class-I, Nagod.	Nagod	Satna	Nagod	Nagod

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
64	Shri Yugal Raghuvanshi, IIIrd Additional Judge to Ist, Civil Judge, Class-I, Sehore.	Sehore	Sehore	Sehore	Sehore
65	Shri Thakur Prasad Malviya, Civil Judge, Class-I, Budhni,	Budhni	Sehore	Budhni	Budhni
66	Sushri Sneha Singh, IInd Civil Judge, Class-I, Seoni.	Seoni	Seoni	Seoni	Seoni
67	Shri Arvind Singh Tekam, Ist Civil Judge, Class-I, Lakhnadon.	Lakhnadon	Seoni	Lakhnadon	Lakhnadon
68	Shri Vivek Kumar Singh, IInd Civil Judge, Class-I, Shahdol.	Shahdol	Shahdol	Shahdol	Shahdol
69	Shri Ravidra Sharma (Jr.), Civil Judge, Class-I, Jaisinghnagar.	Jaisinghnagar	Shahdol	Jaisinghnagar	Jaisinghnagar
70	Shri Mahesh Kumar Mali, IInd Civil Judge Class-I, Shajapur.	Shajapur	Shajapur	Shajapur	Shajapur
71	Shri Awadesh Kumar Shrivastava, Additional Judge to Civil Judge Class-I, Agar.	Agar	Shajapur	Agar	Agar
72	Shri Ravidra Gupta, IInd Civil Judge, Class-I, Sheopur.	Sheopur	Sheopur	Sheopur	Sheopur
73	Ku. Shailja Gupta, IInd Civil Judge, Class-I, Shivpuri.	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri
74	Smt. Majul Pendey, Ist Civil Judge, Class-I, Karera.	Karera	Shivpuri	Karera	Karera
75	Shri Sanjay Verma, IIIrd Civil Judge, Class-I, Sidhi.	Sidhi	Sidhi	Sidhi	Sidhi
76	Shri Munendra Singh Vermar, Civil Judge, Class-I, Majholi.	Majholi	Sidhi	Majholi	Majholi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
77	Shri Tejpratap Singh, Ist Additional Judge to Ist, Civil Judge, Class-I, Waidhan.	Waidhan	Singrauli	Waidhan	Waidhan
79	Shri Ravishankar Dohre, Civil Judge, Class-I, Niwari.	Niwari	Tikamgarh	Niwari	Niwari
82	Shri Rohit Katare, IIrd Civil Judge, Class-I, Umaria.	Umaria	Umaria	Umaria	Umaria
83	Shri Ravikant Solanki, IInd Civil Judge, Class-I, Vidisha.	Vidisha	Vidisha	Vidisha	Vidisha
86	Smt. Jyotsna Arya, Additional Judge to Ist, Civil Judge Class-I, Bhikangaon.	Bhikangaon	Madnleshwar	Bhikangaon	Bhikangaon

भोपाल, दिनांक 25 मई 2019

फा. क्र. 3(ए)19-2003-इक्कीस-ब-(एक) 2711.—यतः भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1022/89 अखिल भारतीय जजेस एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित, आदेश दिनांक 21 फरवरी, 2006 और राज्य परिषद् के आदेश दिनांक 5 जून 2006 के अनुपालन में, विधि और विधायी कार्य विभाग ने अपने आदेश दिनांक 15 जून, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को कतिपय सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

और, यतः उपरोक्त आदेश दिनांक 15 जून 2006 के पैरा 8 (2) के साथ पठित पैरा 16 में यह उपबंध है कि राज्य शासन, सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों को अधिसूचित करेगा;

अतएव, इस संबंध में जारी इस विभाग की समस्त पूर्व अधिसूचनाओं की निरंतरता में राज्य शासन, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश के परामर्श से, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में वर्णित राज्य में निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए अधिसूचित करती है:—

सारणी

अनु. क्र. (1)	जिला (2)	चिकित्सालयों का नाम (3)
1	इन्दौर	सहज हॉस्पिटल, 15/2, साऊथ तुकोगंज, इन्दौर
2	भोपाल	नोबल मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल, प्लॉट नं. 269/1, केपिटल मॉल के बगल में, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म. प्र.):

F. No. 3 (A)-19-2003-XXI-B (1)-2711-2019.—WHEREAS, in compliance of the order dated 21st February, 2006 passed by the Supreme Court of India- in Writ Petition (Civil) No. 1022/89 All India Judges Association and others Versus Union on India and others and in compliance of the order dated 5th June, 2006 of the State Council, the Law and Legislative Affairs Department *vide* its order dated 15th June, 2006 granted certain facilities to the Judicial Officers posted in Madhya Pradesh;

AND, WHEREAS, Para 8 (2) read with Para 16 of the aforesaid order dated 15th June, 2006 provides that the State Government shall notify private hospitals for treatment of working/retired judicial officers and their family members;

Now, THEREFORE, in continuation of this department's all previous notification issued in this regard the State Government, in consultation with the Director, Health Service, Madhya Pradesh hereby, notifies the following private hospitals in the State mentioned in column (3) of the Table below for treatment of working/retired judicial officers and their family members, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Distirct (2)	Name of Hospitals (3)
1	Indore	SAHAJ HOSPITAL, 15/2, South Tukoganj, Indore
2	Bhopal	NOBLE Multispeciality Hospital, Plot No. 269/1, Adjacent to Capital Mall, Hoshangabad Road, Bhopal, MP-462026.

फा. क्र. 2017-इक्कीस-ब (एक) 3031.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री अपूर्वा पाठक पुत्री श्री देवदत्त पाठक (मेरिट क्र. 13) को नियुक्ति के लिए अपात्र पाए जाने के कारण, राज्य शासन, एतद्वारा, सुश्री अपूर्वा पाठक पुत्री श्री देवदत्त पाठक का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2017 की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 13 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है।

फा. क्र. 2018-इक्कीस-ब (एक) 3030.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2018 में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री अम्बरीश कुमार लोधी पुत्र श्री भगवान लाल लोधी (मेरिट क्र. 83) को नियुक्ति के लिए अपात्र पाए जाने के कारण, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री अम्बरीश कुमार लोधी पुत्र श्री भगवान लाल लोधी का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2018 की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 83 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है।

फा. क्र. 3035-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री विजय चन्द्रा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से दिनांक 31 जुलाई 2019 तक की अवधि के लिए एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 27 मई 2019

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)3060.—(मेरिट क्र. 104), राज्य शासन, सुश्री पल्लवी सुनकर पुत्री श्री रूप नारायण सुनकर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080— 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला पन्ना (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 27 मार्च, 1994 है।

Bhopal, the 29th May 2019

भोपाल, दिनांक 23 मई 2019

F.No. 2966-XXI-B(II)-2019.—The State Government is pleased to appoint Ms. Rukhmini S. Bobde, Advocate, of India Supreme Court, of India New Delhi, as Standing Counsel for Conduction of the cases on behalf of the State Government of Madhya Pradesh before National Green Tribunal, New Delhi with effect from the date of this order. Terms & conditions of her appointment shall be as per this department's order No. 1 (A)7/2005/XXI-B(II), Dated 4th July, 2012. The expenditure on this account will be debited to Grant 29-2014-Administration of Justice-(114)-Legal Advisors and Counsel (6251)-Fees and other payment to Advocates of the High Court/Supreme Court (31) payment of Professional Services (003) Fees to pleader.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मई 2019

फा. क्र. 17 (ई) 104-इक्कीस-ब (दो) 2018.—राज्य शासन, एतद्वारा नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(च) के अधीन श्री राजेन्द्र कुमार मरोठी, नोटरी जिनका सामान्य वृत्तिक, पता-असाटी, वार्ड नं. 2, जिला दमोह (म. प्र.) है, द्वारा नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र निरस्त करते हुए उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

फा. क्र. 17(ई) 349-इक्कीस-ब-(दो) 2018.—राज्य शासन, एतद्वारा नोटरी अधिनियम, 1956 नियम 13 के उपनियम (12) की कंडिका (ख) की उपकंडिका (ii) के अधीन श्री रामेश्वर दयाल यादव, नोटरी जिनका सामान्य वृत्तिक, पता-बग्गीखाने के पीछे, छोटा बाजार, जिला दतिया (म. प्र.) है, को दिनांक 25 मई 2019 से छः माह की अवधि के लिये नोटरी व्यवसाय से निलंबित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

फा. क्र. 2933-इक्कीस-ब-(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय के पत्र क्रमांक-304-2019, दिनांक 17 मई 2019 तथा सामान्य प्रशासन विभाग की नस्ती यू.ओ.क्र. 830, दिनांक 22 मई 2019 के अनुक्रम में, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जबलपुर में विचाराधीन राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु श्री हरजस सिंह छाबड़ा, शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर को आगामी आदेश तक राज्य के प्रतिनिधित्व हेतु अधिकृत करता है.

भोपाल, दिनांक 24 मई 2019

पंजी क्र. 2936-2019-इक्कीस-ब-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्रीमती रामकुमारी गुप्ता, नोटरी जिला मुख्यालय, भोपाल द्वारा दिनांक 14 मई 2019 को प्रेषित त्यागपत्र के फलस्वरूप, उनके नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 5 जुलाई 2018 को अपास्त करते हुए उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

भोपाल, दिनांक 25 मई 2019

फा. क्र. 2937-2019-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, नोटरी अधिनियम, 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 के उपनियम (12) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) के अंतर्गत एतद्वारा, श्री हैदर अली, नोटरी, तहसील-सेगांव, जिला-मण्डलेश्वर को तत्काल प्रभाव से छः माह की अवधि के लिये नोटरी व्यवसाय से निलंबित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 29 मई 2019

क्र. एफ-3-82-2016-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 5608-09-2016-उपां-टी सी-इन्दौर-2018, दिनांक 26 सितम्बर 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रेवती, तहसील-हातौद, जिला-इन्दौर.	103, 104, 116	5.125	प्रस्तावित आमोद-प्रमोद (क्षेत्रीय उद्यान) एवं कृषि.	प्रस्तावित आमोद-प्रमोद (क्षेत्रीय उद्यान) एवं सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक).
			योग . . .	<u>5.125</u>	

1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 (3) (क) के अन्तर्गत देय राशि रु. 25,26,000/- (रुपये पच्चीस लाख छब्बीस हजार रुपये मात्र) दिनांक 1 मई 2019 को भारतीय स्टेट बैंक, जिला-इन्दौर (बैंक स्क्रोल नंबर-76410) के चालान क्रमांक (SBIN000615902170105201976410) द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.
2. स्थल पर पहुंच हेतु मार्ग का निर्माण शासकीय एजेन्सी द्वारा नहीं किये जाने की स्थिति में संस्था को पहुंच मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा.
3. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथावत रखना होगा.
4. अभिन्यास अनुमोदन/विकास अनुज्ञा में नियमानुसार आवश्यक सुविधाओं हेतु भूमि सुरक्षित रखना होगा.
5. उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना 2021 को एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2018

क्र. एफ-10-62-2016-तैंतीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभाग द्वारा जारी पर्यटन नीति 2016 के कतिपय प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

(1) नीति की कंडिका 5 पर्यटन परियोजनायें

वर्तमान में सूचीबद्ध गतिविधियों के अतिरिक्त इस सूची में निम्नलिखित परियोजनायें जोड़ी जाकर निम्नानुसार क्रमांकित की जाती है:—

- 5.19 सी-प्लेन
- 5.20 एमफीबियन पर्यटक वाहन
- 5.21 एयरो स्पोर्ट्स एवं एयरो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर/एकेडमी
- 5.22 हेरिटेज कैफेटेरिया/मोटल
- 5.23 अन्य पर्यटन संबंधी गतिविधियाँ जिन्हें केन्द्र/राज्य शासन का पर्यटन विभाग अपनी नीति अन्तर्गत अधिसूचित करें.

(2) नीति की कंडिका 6.4 परियोजनाओं हेतु अनुदान में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

- स्टेण्डर्ड श्रेणी के नवीन होटल/मिनी रिसोर्ट की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान
- न्यूनतम निवेश रु. 200 लाख
- किराये पर देने योग्य कक्षों की न्यूनतम संख्या होटल हेतु 25 एवं मिनी रिसोर्ट हेतु 10 होना आवश्यक है.

(3) नीति की कंडिका 6.8 परियोजनाओं हेतु अनुदान में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

- फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु स्थायी अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना/म्यूजियम, एक्वेरियम, थीम पार्क स्थापना पर पूंजीगत अनुदान.
- न्यूनतम निवेश रु. 100 लाख

(4) नीति की कंडिका 6.9 परियोजनाओं हेतु अनुदान में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

- एडवेंचर टूरिज्म, वॉटर टूरिज्म, वॉटर स्पोर्ट्स, क्रूज/हाउस बोट, नौवहन अधोसंरचना, एम्यूजमेंट पार्क, लाईट एंड साउंड शो/लेजर शो, कैम्पिंग गतिविधियों हेतु उपकरणों/टेंट की स्थापना/उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्थायी सुविधाओं एवं अधोसंरचनाओं का निर्माण.
- न्यूनतम निवेश रु. 5 लाख

(5) नीति की कंडिका 6.10 परियोजनाओं हेतु अनुदान में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

- ग्रीन फील्ड/फ्रेंचाइजी माडल पर मार्ग सुविधा केन्द्र (डब्ल्यू.एस.ए.) की स्थापना जिसमें स्थायी पूंजीगत व्यय रुपये 25 लाख से अधिक हो.
- विभाग की मार्ग सुविधा केन्द्र नीति 2016 के अनुरूप निर्धारित स्थानों/प्रबंध संचालक एम.पी. टूरिज्म बोर्ड द्वारा मान्य स्थानों पर स्थापित एवं संचालित इकाईयों को पात्रता.

(6) नीति की कंडिका 6.11 परियोजनाओं हेतु अनुदान में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

- पर्यटन विभाग से लीज पर ली गयी भूमि/हेरिटेज परिसंपत्ति पर मूल अधोसंरचना यथाविद्युत् प्रदाय, जल प्रदाय एवं सड़क संपर्क, सीवेज एवं जल-मल निकासी अधोसंरचनाओं के निर्माण हेतु पूंजीगत अनुदान.
- न्यूनतम निवेश रु. 50 लाख.

(7) नीति की कंडिका 8.2 पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में छूट में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

पर्यटन विभाग द्वारा जो शासकीय भूमि (लैंड-पार्सल, हेरिटेज प्रॉपर्टी के साथ की अनुषांगिक भूमि एवं मार्ग सुविधा केन्द्र की भूमि) एवं पर्यटन विभाग की संपत्तियां, पर्यटन परियोजनाओं के लिये लीज/विकास अनुबंध/प्रबंधकीय अनुबंध/लाइसेंस आदि पर दिये जाने पर निष्पादित एवं पंजीकृत अनुबंधों पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क देय नहीं होगा.

(8) नीति के परिशिष्ट-1 की कंडिका 2.7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

राज्य शासन से निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर निगम सफल निविदाकार को इस स्वीकृति की सूचना देगा. उक्त सूचना प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर (धरोहर राशि समायोजन पश्चात्) शेष राशि उच्चतम प्रस्तावदाता को जमा करना आवश्यक होगा. 60 दिन के भीतर राशि न जमा कराने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अधिकतम 4 माह का समय और दिया जावेगा. औचित्यपूर्ण कारणों से निवेशक द्वारा 4 माह की अवधि ली जाने पर भी राशि जमा किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है तो गुणदोष के आधार पर प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड इस अवधि को बिड ड्यू डेट से एक वर्ष तक के लिये 12 प्रतिशत ब्याज सहित बढ़ा सकेंगे.

(9) नीति की कंडिका 9.3 एवं नीति के परिशिष्ट-1 की कंडिका 2.9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

चिन्हित शासकीय भूमियों/भूमि जिस पर परिसंपत्तियां निर्मित हैं एवं जो पर्यटन विभाग को हस्तांतरित है अथवा की जायेगी, को 90 अथवा 30 वर्ष की लीज पर देने, 5 से 30 वर्ष के लिये लायसेंस पर देने अथवा विकास/प्रबंधकीय अनुबंध के माध्यम से विकसित करने के संबंध में अंतिम निर्णय पर्यटन विभाग द्वारा लिया जावेगा.

(10) नीति के परिशिष्ट-1 की कंडिका 2.11 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

सफल निविदाकर्ताओं से परियोजना लागत की 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रुपये 2.00 करोड़ तक की परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी, बैंक गारंटी/सावधि जमा रसीद के रूप में प्राप्त की जायेगी, जो कि परियोजना के सफल संचालन के 3 वर्ष पश्चात् लौटाई जायेगी.

(11) नीति की कंडिका 6.13 परियोजनाओं हेतु अनुदान में निम्नानुसार जोड़ी जाती है:—

- सी-प्लेन, एमफीबियन पर्यटक वाहन एवं एयरो स्पोर्ट्स व एयरो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेन्टर/एकेडमी की स्थापना पर न्यूनतम निवेश सीमा रु. 100 लाख रखते हुए पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु. 10.00 करोड़ तक अनुदान दिया जाएगा.
- एयरो स्पोर्ट्स एवं एयरो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेन्टर/एकेडमी की स्थापना उपरान्त अनुदान गतिविधि के एक वर्ष तक संचालन के उपरान्त दिया जाएगा. सी-प्लेन एवं एमफीबियन पर्यटक वाहन को स्वीकृत अनुदान राशि का वितरण निम्नानुसार किया जाएगा. गतिविधि प्रारंभ होने पर अनुदान राशि का 40 प्रतिशत तदनुपरान्त संचालन के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में स्वीकृत अनुदान राशि का 20% प्रत्येक वर्ष.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 44-भू-अर्जन-2019-प्र.क्र.-01-अ-82-2018-19.-

नीमच, दिनांक 5 फरवरी 2019

चूंकि मध्यप्रदेश राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग जिला नीमच द्वारा ग्राम आम्बा व माण्डा में अंबामाता तालाब परियोजना के लिए हेतु निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है :-

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत यह सूचना जारी की जा रही है। क्रयनीति के अंतर्गत ली जा रही भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरांत 15 दिवस के भीतर अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति कलेक्टर कार्यालय नीमच एवं अनुविभागीय अधिकारी तथा भू-अर्जन अधिकारी जावद के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जाएगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण :-

जिला - नीमच

तहसील - जावद

ग्राम - आम्बा, क्षेत्रफल रकबा - रकबा 15.91 हे. ग्राम माण्डा 3.75 हे. कुल रकबा 19.66 हे.

मौजा- मांडा

तहसील : जावद

जिला : नीमच

क्र.	खातेदार का नाम एवं विवरण	सर्वे नं.	अधिग्रहित रकबा			अन्य सम्पत्ति	अन्य संरचना
			सिंचित	असिंचित	योग		
1	बगदीराम पिता भेरूलाल भील	79	0.54		0.54	निरंक	निरंक
		80	0.72		0.72	निरंक	निरंक
2	द्वाराकाधीश पिता मन्नालाल महाजन	94	0.01		0.01	निरंक	निरंक
3	बंशीलाल पिता सीताराम रेगर	147 गिन-1	0.12		0.12	निरंक	निरंक
4	कैलाशचन्द्र पिता रामा रेगर	93	0.09		0.09	निरंक	निरंक
		122	0.09		0.09	निरंक	निरंक
5	गोदूलाल पिता उदा चन्दीबाई बेवा मोतीराम, देवलीबाई पिता मोतीराम, कंकुबाई बेवा लालु उदा जाति भील	78	0.05		0.05	निरंक	निरंक
6	प्रभूलाल पिता रामचन्द्र कुलमी	144		0.34	0.34	निरंक	निरंक
7	रतनलाल पिता रामलाल जाति रेगर	95	0.02		0.02	निरंक	निरंक
8	रामविलास उदयराम कुलमी	121	0.09		0.09	निरंक	निरंक
9	सन्नुबाई पति विजयकुमार पाटीदार	119/2	0.11		0.11	निरंक	निरंक
10	सुशीलाबाई बेवा सीताराम कुलमी	118	0.20		0.20	निरंक	निरंक
11	तुलसीराम पिता मंवरलाल कुलमी	116	0.20		0.20	निरंक	निरंक
12	विजयप्रकाश, दिनेश, मुन्नीबाई पिता शातिलाल, जगदीशचन्द्र पिता मोहनलाल 1/2, मांगीलाल पिता धूला जाति रेगर	91	0.07		0.07	निरंक	निरंक
13	मंदिर श्री माताजी प्रबंधक कलेक्टर नीमच म.प्र. शासन	84	0.48		0.48	निरंक	निरंक
		86	0.07		0.07	निरंक	निरंक
14	विजय प्रकाश, दिनेश, मुन्नीबाई पिता शातिलाल जाति रेगर	96/1	0.16		0.16	निरंक	निरंक
15	जगदीश पिता मोहनलाल जाति रेगर	96/2, 96/3	0.21		0.21	निरंक	निरंक
16	मांगीलाल पिता धूला रेगर	119/1	0.18		0.18	निरंक	निरंक

मौजा- आंबा

तहसील : जावद

जिला : नीमच

क्र.	खातेदार का नाम एवं विवरण	सर्वे नं.	अधिग्रहित रकबा			अन्य सम्पत्ति	अन्य संरचना
			सिंचित	असिंचित	योग		
1	अम्बालाल पि. मांगीलाल 1/2 भाग भूमि स्वामी रतनलाल प्रभूलाल पिता प्रेमचन्द्र, कन्हैयालाल भेरूलाल, पिता चुनीया जाति भील 1/2 भाग भूमि स्वामी	172	0.02		0.02	निरंक	निरंक
2	अंबालाल, घनश्याम, गोपाल पिता कंवरलाल, कमलीबाई बैवा कंवरलाल जाति भील निवासी रूपाहेली	202	0.07		0.07	निरंक	निरंक
3	अम्बालाल पिता मांगु जाति भील	144	0.04		0.04	निरंक	निरंक
		171	0.39		0.39	निरंक	निरंक
		156		0.53	0.53	निरंक	निरंक
4	जमनालाल, माधूलाल पिता माना, धापुबाई बेवा माना, भगताराम, पिता देवीलाल, विशाल ना.बा. पिता लक्ष्मण सर.दादी दाखीबाई, दाखीबाई बेवा किशना, अमरसिंह हरजीलाल, पिता किशना हि. 2/3 दल्लीबाई बेवा रामचन्द्र, रतनलाल, बालिग, तेजराम शातिलाल पिता रामचन्द्र ना.बा. सर. माता स्वयं हि. 1/3 जाति भील निवासी मांडा निवासी आम्बा तहसील जावद जिला नीमच	142	0.30		0.30	निरंक	निरंक
5	भंवरलाल पिता रामलाल जाति भील	174/3	0.17		0.17	निरंक	निरंक
		181/1	0.07		0.07	निरंक	निरंक
6	जमनालाल, माधूलाल, मोहनीबाई, देवीलाल पिता माना धापूबाई बैवा माना जाति भील	145	0.31		0.31	निरंक	निरंक
7	कैलाशचन्द्र, मोहनलाल, पिता कंवरलाल 1/2 भाग भूमि स्वामी कनीराम पिता चुन्नीलाल जाति भील 1/2 भू-स्वामी	134	1.43		1.43	निरंक	निरंक
8	कालू पिता उंकार जाति भील	200	0.32		0.32	निरंक	निरंक
		201	0.22		0.22	निरंक	निरंक
		205	0.98		0.98	निरंक	निरंक
		189	0.06		0.06	निरंक	निरंक
9	कनीराम पिता मांगू जाति भील	206	1.00		1.00	निरंक	निरंक
10	कौशल्याबाई पति बंशीलाल जाति भील	188/1	0.10		0.10	निरंक	निरंक
		191/1	0.10		0.10	निरंक	निरंक
11	कंकुबाई पत्नी स्व. रामलाल जाति भील	174/2	0.25		0.25	निरंक	निरंक
12	मांगीबाई बैवा नानूराम, बंशीलाल, बाबरू बालिग लक्ष्मण, ना.बा. पिता नानूराम सर माता मांगीबाई जाति भील	187	0.70		0.70	निरंक	निरंक
13	मनोहरलाल, शंकरलाल, भंवरलाल, नानूराम, पिता रामलाल व कंकुबाई बैवा रामलाल जाति भील, सूरज दीपाबाई पिता रमेशचन्द्र ना.बा.माता जाति भील	174/1	0.01		0.01	निरंक	निरंक

14	मंदिर श्री माताजी स्थित अम्बामाता ग्राम आम्बारगढ, प्रबंधक कलेक्टर महोदय म.प्र शासन भूमि स्वामी	176	0.23	0.23	निरंक	निरंक
15	मनोहरलाल पिता रामलाल जाति भील	178/1	0.23	0.23	निरंक	निरंक
16	मांगीबाई बैवा नानूराम जाति भील	188/2	0.39	0.39	निरंक	निरंक
		191/2	0.20	0.20	निरंक	निरंक
17	नानूराम पिता रामलाल जाति भील	178/3	0.24	0.24	निरंक	निरंक
18	नन्दलाल,पप्पूलाल पिता कारूलाल जाति भील	150	0.95	0.95	निरंक	निरंक
		152	0.65	0.65	निरंक	निरंक
19	नन्दलाल,पप्पूलाल पिता कारूलाल हि. 1/3 केलाशचन्द्र, मोहनलाल, पिता कंवरलाल हि.1/3 शांतिलाल, मेरूलाल पिता प्रेमचंद, घीसीबाई बैवा प्रेमचंद हि. 1/3 जाति भील	166	0.40	0.40	निरंक	निरंक
		167	0.83	0.83	निरंक	निरंक
		168	0.29	0.29	निरंक	निरंक
20	नन्दलाल,पप्पूलाल पिता कारूलाल, केलाशचन्द्र, मोहनलाल,पिता कंवरलाल शांतिलाल, मेरूलाल, पिता प्रेमचन्द्र,प्रेमचन्द्र,घीसीबाई बैवा प्रेमचन्द्र 1/2 भाग भूमि स्वामी मांगीबाई बैवा नानूरामबंशी, बाबरू, लक्ष्मण, पिता नानू जाति भील	190	0.05	0.05	निरंक	निरंक
21	प्रभूलाल, श्यामलाल, लालाराम, पिता भगवान मांगीबाई बैवा नानूराम नर्मदाबाई रेखाबाई पिता नानूराम, तुलसीबाई बैवा, छगनलाल, मेरूलाल, राधाबाई, कालीबाई, किशनीबाई बालीक रतनीबाई, संगीताबाई ना.बा. पिता छगनलाल जाति भील नि-ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी भू-राजस्व	132	0.27	0.27	निरंक	निरंक
22	प्यारा पिता वजेराम, पन्ना, बैवा पिता नन्दा आशीबाई बैवा नन्दा, सत्यनारायण पिता चन्दा तुलसीबाई बैवा फोरेलाल भूमि स्वामी पन्नालाल, बाबूलाल, रामचन्द्र पिता रामनारायण जाति भील	179	0.63	0.63	निरंक	निरंक
		184	0.05	0.05	निरंक	निरंक
23	रतनलाल, प्रभूलाल पिता प्रेमा हि. 1/3 कन्हैयालाल, मेरूलाल पिता चुनीया हि. 2/3 जाति भील	137	0.29	0.29	निरंक	निरंक
		138	0.30	0.30	निरंक	निरंक
		149	1.10	1.10	निरंक	निरंक
		173	0.28	0.28	निरंक	निरंक
		183	0.79	0.79	निरंक	निरंक
		186	0.20	0.20	निरंक	निरंक
24	सूरज सूरज, दीपाबाई पिता रमेशचन्द्र ना.बा.सर माता दीपाबाई खुद जाति भील	178/2	0.23	0.23	निरंक	निरंक
25	शंकरलाल पिता रामलाल जाति भील	181/2	0.24	0.24	निरंक	निरंक

2- भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जि अधिकारी उपखण्ड जावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

राजीव रंजन मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 09-अ-82-17-18-भयावाड़ी-4505.—

बैतूल, दिनांक 10/13 मई 2019

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची - 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	शाहपुर	भयावाड़ी	0.984	तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	नन्हे वल्द मनीराम जाति कुडमी सा० देह	543/1	0.414	0.104
2	गज्जू रध्धू लखन वल्द सालक जाति गोंड	542	0.235	0.024
3	दशरथ वल्द रामबालक जाति कुडमी सा० देह	541/1	1.733	0.083
4	सुनील वल्द प्रेमलाल कुडमी सा० देह	537/1	1.710	0.001
5	कोमल वल्द शिवबालक कृष्णा पुत्र शिवबालक जाति कुडमी	536	0.991	0.147
6	राजाराम वल्द रामभरोस जाति कुडमी सा० देह	535	0.223	0.004
7	अनिल वल्द रंगलाल जाति तेली सा० देह	525	0.223	0.011
8	सम्पत्तिबाई जौजे हरिचंद जाति कुडमी सा० देह	486/1	0.570	0.168
9	सब्बो जौजे गोपाल जाति कुडमी सा० देह	486/2	0.571	0.118
10	शिवप्रसाद वल्द राधे जाति कुडमी सा० देह	491/2	1.198	0.049
11	तिजिया बेवा बबलू, रामस्वरूप कुंवरलाल, गोकुल, धन्ना, वल्द बबलू राजो पिता बबलू जाति कुडमी सा० देह	491/1	2.113	0.043
12	सुखराम वल्द जुगरा जाति कुडमी सा० देह	47/4	0.125	0.034
13	भागीरथ वल्द इमरत जाति कुडमी सा० देह	44/1	1.116	0.048
14	सुनिल वल्द प्रेमलाल जाति कुडमी सा० देह	44/2	1.117	0.087
15	हरिदास वल्द धनजी जाति कुडमी	43	0.032	0.032
16	मनको बेवा सोनूलाल, श्रीराम लीलादास, गणेश, वल्द सोनू, पुष्पा बेवा देवीप्रसाद, विनोद प्रमोद वल्द देवीप्रसाद विनीता पिता देवीप्रसाद जाति तेली सा० देह	28	2.072	0.004
17	ललीता जौजे सुनिल जाति कुडमी सा० देह	26	0.239	0.027
योग			14.682	0.984

2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

प्र. क्र. 31-अ-82-16-17-कोल्हया-4508

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	कोल्हया	0.096	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	साहेबराव वल्द पंढरी, अनुसया, गुन्ता, मान्ता पिता पंढरी कैलाश, प्रकाश वल्द सुडक्या, सरस्वती, सावित्री, अंजनी पिता सुडक्या सरस्वती सावित्री, अंजनी पिता सुडक्या सा.देह	58/5	0.410	0.041
2	अमृतराव, उमराव, रूपराव वल्द तेजू आशा, कुसुम पिता तेज सा.देह	58/4	0.340	0.030
3	कमला, इमला, चिनको पिता मुड्डा, रमिया पिता मुड्डा संतो, भूरी पिता सुब्बा जाति गोंड सा.देह	61/1	1.400	0.025
योग			2.150	0.096

(2) चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्र. क्र. 30-अ-82-16-17-हथनापुर-4607

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का क्षेत्रफल(हे0में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (M0प्र0)	मुलताई	हथनापुर	0.316	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे0 में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
1	सुन्दरलाल वल्द डोमा सा. देह	15/1	0.200	0.024
2	हीराजी वल्द गोमा, किसन वल्द मुक्का, नत्थु धनजी, पूरन वल्द दम्मन, रखिया पिता दम्मन, हीरालाल, देवना, गोदा वल्द तेजी, पुनिया, गोधी पिता तेजी, लखन, शंकर बमत वल्द बाजेराव,मटरबाई बेवा बाजेराव, बवली पिता लखन, सकुन बेवा लखन, सुभद्रा, गुनी, कपूरा, लता पिता बाजेराव, इनक, दानाजी, सिपत सगन पिता धुंदु मना बेवा धुंदु सा. देह	261	0.113	0.032
3	राजकुमार ना.बा. वल्द नत्थु वली पिता नत्थु वल्द दम्मन जाति भोयर सा.देह	262/1	0.203	0.065
4	भबूत सावन्या, धुन्दू वल्द केशो जाति भोयर सा.देह	223	0.380	0.023
5	चैती बेवा भीक्या, शाकर वल्द भीक्या जाति पंवार सा.देह	203	0.138	0.010
6	विनोदी वल्द बाजेराव जाति पंवार सा.देह	204/1	0.117	0.002
7	मदन वल्द राजेराम सा.देह	419/1	0.300	0.058
8	फकीर, चन्द, महादेव वल्द बाजी सुइला, दसिया, उजरी, नानी पिता घुस्सी, पुना, श्यामू ना.बा.व अमरया वली मां भागवती भागवती बेवा अमरया सा.देह	420	3.310	0.102
योग			4.761	0.316

(2) चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्र. क्र. 28-अ-82-16-17-चैनपुर-4569

बैतूल, दिनांक 13/14 मई 2019

चूँकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कर्मांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (M0प्र०)	मुलताई	चैनपुर	0.291	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	नितेश वल्द परसराम कल्पना सुभागी रेखा सारिका पिता परसराम, निर्मला, दीपिका बेवा परसराम, गनी बेवा लक्ष्मण दिनेश, गणेश वल्द लक्ष्मण सुशील पिता लक्ष्मण बायजी बेवा मूला सोनी बनी सरस्वती बेवा मूला शान्ता जौजे रामराव जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	69	0.214	0.023
2	विठ्ठलराव, रामराव, गुलाबराव, श्यामराव वल्द मुकिंदा भागरती बेवा साहेबराव, अशोक श्री वल्द साहेबराव, भूमि स्वामी अमृतराव भोजराव, शिवनाथ वल्द केवलराम कुन्बी पता पारडसिंगा, भूमि स्वामी गीता विमला पिता साहेबराव बाया बेवा साहेबराव देवधर वल्द साहेबराव लाहनसिंह बाई पिता साहेबराव, जाति कुन्बी पता सा. पारडसिंगा भूमि स्वामी	70	0.368	0.078
3	कुसना, इसना किस्मतराव, सेवाराम वल्द महादेव द्वारका, नोसु पिता महादेव, लक्ष्मी मनी बेवा महादेव, जाति कुनबी पता सा.देह पारडसिंगा समान भाग भूमि स्वामी श्यामराव वल्द रामराव जाति कुन्बी पता सा. सोनेगांव भूमि स्वामी	71	0.813	0.113
4	तान्बा वल्द सोन्बा कुन्बी पता सा. पारडसिंगा भूमि स्वामी	74/1	0.101	0.053
5	मूलो बेवा संभा पंडित उत्तम वल्द संभा बातू विठ्ठलराव, गुलाबराव मंचितराव वल्द शिवराम सकिया पिता शिवराम उमराव तुकराम सीताराम वल्द श्यामराव भूरो आनंदी पिता श्यामराव दुर्गा बेवा महादेव कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	75	0.300	0.024
योग			1.796	0.291

(2) चूँकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्र. क्र. 29-अ-82-16-17-मालेगांव-4630

बैतूल, दिनांक 13/15 मई 2019

चूँके समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	मालेगांव	0.696	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	मारोती व० पांडुरंग सा०देह	18	0.603	0.168
2	खुशर, हरीलाल व० जादो, बाबूलाल बालकिसन व० खुशर जाति पंवार सा० देह	19	1.582	0.346
3	किशोर व० चिरोजी, धुड़ी बेवा डेमलया, शिवपाल,सदाशिव,सहदेव व० डेमलया, मीता, सुकी पिता डेमलया सा० देह	206	0.061	0.001
4	शिवपालन, सदाशिव, सहदेव व० डेपल्या, बातो,सूको पिता डेपल्या, अ०जा०सा देह	207	0.073	0.011
5	राम, तुन्नू, जगनू, व० गिरधारी जाति अ०जा० सा०देह	208	0.041	0.009
6	दुल्लो पिता नागो जगू भवनू, रककू व० जीवन, मधूल बेवा जीवन सा० देह	209	0.089	0.008
7	सब्बू व० साजू सुगन्ती पिता साजू सवाई व० रंजन, रतन, राधेलाल व० बातू, भगवती राधि पिता बातू अ०जा० सा० देह	210	0.089	0.012
8	चैतू व० भदया, गुडडू, सोधू व०कुंजी, जैवती बेवा कुंजी, रूखमा बेवा रामपत, फकीर व रामपत, सूकामलेख व सलकिया ना बा वली मां सारजा बेवा झलकिया गोवर्धन व मनकया सा देह	211	0.093	0.016
9	शंकर व मंहगूराम, रामराव व० फुसा, संगनी बेवा फुसिया, राजू बबलू व० सीताराम सावित्री बेवा सीताराम सा देह	212	0.057	0.004
10	बलीराम व० नान्हू जाति पंवार	228	2.602	0.121
	योग	10	5.290	0.696

(2) चूँकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्र. क्र. 01-अ-82-17-18-घोड़ाडोंगरी-4627

बैतूल, दिनांक 15 मई 2019

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-(1)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	0.526	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची- (2)
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	मानसिंह वल्द चिन्दू जाति गोंड सा० देह	1234	0.405	0.032
2	बंडू, शिव, झामसिंग, संतोष वल्द भूता राजोबाई, सकीला, कमला पिता भूता जाति गोंड सा० देह	1197 1224	0.563 0.174	0.142 0.085
3	स्पर्श वल्द कृष्णगोपाल, शिवाजी पिता कृष्णगोपाल, जाति बनिया सा० देह	1196	0.514	0.107
4	उमदा बेवा ननकू, शंकर, समलू वल्द ठुरी जाति गोंड सा० देह	1188	2.566	0.113
5	रुन्दी बाई बेवा गजराज सिंग जाति गोंड सा० देह	1238	0.279	0.015
6	संतरी, फूल्लो, मन्नीबाई पिता बिहारी सुनील, सुशीला, झब्बा, रिना, कंचन, मोनिका पिता रामसू गोंड सा० देह	1236	0.360	0.001
7	मधुकर, संतोष पंचम, रामगोपाल वल्द बलीराम गोंड सा० देह	1233/1	0.200	0.015
8	रमेश, विलेश, विनोद वल्द मोतीलाल शांति पिता मोतीलाल पतिबाई बेवा गोंविन्द सावित्री नमिशा पिता गोविंद गोंड सा० देह	1233/2	0.201	0.016
योग			5.262	0.526

(2) चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्र. क्र. 02-अ-82-17-18-बांसपुर-4628

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-(1)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बांसपुर	0.160	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-(2)

(प्रभावति धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	शंकर वल्द अलोप ओझा वल्द मदन तुलसी, रामदीन वल्द दलप कोयली पिता दलप गोंड सा० देह	132	1.428	0.006
2	महादेव वल्द मीट्टू ढीमर सा० शोभापुर	78/4	2.428	0.009
3	राजेश कुमार वल्द राधेश्याम बनिया सा० देह	83/1	1.914	0.090
4	जगराम, जारू, मंजू वल्द बुद्ध सुगन्ती बेवा बिहारी रावन सरवन वल्द बिहारी गोंड सा० देह	83/2	0.405	0.035
5	शांतीबाई जौजे रामजी जाति गोंड सा० देह	84	1.052	0.020
योग			7.227	0.160

(2) चूँकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. भू-अर्जन-2018-2019-50-51

शाजापुर, दिनांक 13 मई 2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना क्रमांक 1 लगायत 2 म वर्णित भूमि की अनुसूची क्रमांक 1 के खाने 6 में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा-19 के उपबंधों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि निम्नानुसार भूमि की निम्नांकित लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची (01)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6
शाजापुर	मो.बड़ोदिया	कमरदीपुर	0.28 हे. निजी	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, संभाग उज्जैन	शाजापुर जिले के एन. एच.-3 को कबुलपुर कमरदीपुर से जोड़ने वाले मार्ग में उतावली नदी पर जलमगनीय पुल एवं पहुँच मार्ग

अनुसूची (02)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6
1	कल्लूखां, ओरंगजेब खां पिता बुन्दे खां जाति मुसलमान नि.ग्राम उकावता समान भाग भूमि स्वामी	57/2	0.100	0.000	0.100
2	शंकरसिंह, भगवानसिंह हाकमसिंह पिता रतनसिंह, लाइकुवरबाई, मानकुवरबाई, सरेकुवरबाई, प्रकाशकुवरबाई, विष्णुकुवरबाई पिता रतनसिंह भाग 11-1/2 पैसा भूमि स्वामी, भवंरसिंह, भादरसिंह, अंतरसिंह, भगवानसिंह, गंगाबाई, श्यामुबाई, कैलाशबाई पिता माधोसिंह, रोशनसिंह पिता प्रेमसिंह ना.बा.सर पर माता संतोषबाई व संतोषबाई वि. प्रेमसिंह हिस्सा 12-1/4 पै. भूमि स्वामी, सोरमबाई वि. मानसिंह भाग 27-1/4 पै. जाति राजपूत, मुनिमखां, सुलेमानखां पिता बुन्देखां हिस्सा 3-1/4 पै. ओरंगजेबखां, मुनिमखां, सुलेमानखां पिता बुन्देखां हिस्सा 7 पै. नि.ग्राम उकावता भूमिस्वामी बुन्देखां, छोटेखां, नवाबखां पिता वजीरखां हिस्सा 4 पै. भूमिस्वामी नवाबखां पिता वजीरखां भाग 8-1/2 पै. छोटेखां पिता वजीरखां भाग 7 पै. बुन्देखां पिता वजीरखां भाग 6 पै. नि.ग्राम उकावता भूमिस्वामी,	58	0.020	0.000	0.020

	हमीदखां लतीफखां पिता अब्दुलखां हि. 2-1/4पै. नि.ग्राम रसूलपुर भूमिस्वामी, रसूलखां अजीजखां, रज्जाकखां, सरदारखां पिता ईस्माइलखां भाग 6-1/2 पै. नि.ग्राम उकावता रुफीकखां पिता सरदारखां भाग 4-3/4 पै. नि. नगर सारंगपुर भूमिस्वामी				
3	शंकरसिंह, भगवानसिंह हाकमसिंह पिता रतनसिंह, लाइकुवंरबाई, मानकुवंरबाई, सरेकुवंरबाई, प्रकाशकुवंरबाई, विष्णुकुवंरबाई पिता रतनसिंह भाग 11-1/2पैसा भूमि स्वामी, भवंरसिंह, भादरसिंह, अंतरसिंह, भगवानसिंह, गंगाबाई, श्यामुबाई, कैलाशबाई पिता माधोसिंह, रोशनसिंह पिता प्रेमसिंह ना.बा.सर पर माता संतोषबाई व संतोषबाई वि. प्रेमसिंह हिस्सा 12-1/4 पै. भूमि स्वामी, सोरमबाई वि. मानसिंह भाग 27-1/4 पै. जाति राजपूत, मुनिमखां, सुलेमानखां पिता बुन्देखां हिस्सा 3-1/4 पै. ओरंगजेबखां, मुनिमखां, सुलेमानखां पिता बुन्देखां हिस्सा 7 पै. नि.ग्राम उकावता भूमिस्वामी बुन्देखां, छेटेखां, नवाबखां पिता वजीरखां हिस्सा 4 पै. भूमिस्वामी नवाबखां पिता वजीरखां भाग 8-1/2 पै. छेटेखां पिता वजीरखां भाग 7 पै. बुन्देखां पिता वजीरखां भाग 6 पै. नि.ग्राम उकावता भूमिस्वामी. हमीदखां लतीफखां पिता अब्दुलखां हि. 2-1/4पै. नि.ग्राम रसूलपुर भूमिस्वामी, रसूलखां अजीजखां, रज्जाकखां, सरदारखां पिता ईस्माइलखां भाग 6-1/2 पै. नि.ग्राम उकावता रुफीकखां पिता सरदारखां भाग 4-3/4 पै. नि. नगर सारंगपुर भूमिस्वामी	61	0.000	0.150	0.150
4	गोपालसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम	53	0.010	0.000	0.010
	कुल योग :-		0.130	0.150	0.280

नोट- भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाजापुर/भू-अर्जन अधिकारी शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रकरण क्रमांक 33-अ-82-2019-2020

राजगढ़, दिनांक 27 मई 2019

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की ग्राम परसुलिया एवं माधोपुरा की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि :- ग्राम परसुलिया

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
1	लाल्या पिता छीता जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया भू-स्वामी	1/4	0.506	0.240
	योग	1	0.506	0.240
2	लाल्या पिता छीता हि. 50 पेसे, देवचन्द पिता छीता हि. 35 पेसे, गोकुल, बंदीलाल, चतकरु पिता उम्मेद, गजरी, रागली, सौरम पिता उम्मेद हि. 15 पेसे जाति चमार प रामचरण पिता चैना जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया भू-स्वामी	1/3	1.264	0.200
	योग	1	1.264	0.200
3	रामप्रसाद पिता सालगराम जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया भू-स्वामी	1/2/4	1.265	0.135
	योग	1	1.265	0.135
4	सौरमबाई पति मांगीलाल जाति गाडरी नि.ग्राम परसुलिया भू-स्वामी	1/2/2	1.175	0.305
	योग	1	1.175	0.305
5	कैलाश, मुकेश, दीपक पिता सिद्धलाल, रीना, आरती ना.बा.पिता सिद्धलाल, रामकुंवरबाई बेवा सिद्धलाल जाति धोबी नि.ग्राम परसुलिया भू-स्वामी	1/2/3	0.759	0.595
	योग	1	0.759	0.595
6	रंगलाल पिता कालूराम, रामचरण पिता दयाराम, रामबाबू पिता रूगनाथ जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया भू-स्वामी	553/13/1	1.121	0.350
	योग	1	1.121	0.350
7	दुलीचन्द पिता शम्भूदयाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया भू-स्वामी	553/14/1	0.531	0.090
	योग	1	0.531	0.090
8	रामचन्द्र पिता शम्भूदयाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया भू-स्वामी	553/14/2	1.998	0.660
	योग	1	1.998	0.660
9	रमेशचन्द्र पिता छोटिया, योगेन्द्र, महेन्द्र, हंसु पिता लक्ष्मीनारायण व कमलाबाई बेवा लक्ष्मीनारायण एवं रतनबाई बेवा छोटिया जाति भोई नि. ग्राम परसुलिया भू-स्वामी	553/6	2.529	0.920
	योग	1	2.529	0.920
10	भंवरलाल, हेमराज पिता ग्यारसीराम जाति भोई नि.ग्राम परसुलिया भू-स्वामी	553/7/1	2.058	0.468
	योग	1	2.058	0.468

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
11	सईद खॉं, हमीद खॉं, सलीम खॉं, रईसा, फेगीदा, फिरोजा पिता उमर खॉं जाति मुसलमान नि.ग्राम परसुलिया भू-स्वामी	553/10/1/1	0.970	0.320
	योग	1	0.970	0.320
12	कन्हैयालाल पिता धुल्या जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया भू-स्वामी	553/1/48/1	0.378	0.158
	योग	1	0.378	0.158
13	रमेश पिता भागीरथ, बसन्तीबाई पति रमेश जाति बेलदार नि. ग्राम दुधी भू-स्वामी	553/1/40	0.900	0.400
	योग	1	0.900	0.400
14	आत्माराम पिता भागीरथ जाति बेलदार नि.ग्राम दुधी भू-स्वामी	553/1/39	0.900	0.350
	योग	1	0.900	0.350
15	हरिसिंह पिता उमरावसिंह, श्यामाबाई पति हरिसिंह जाति बेलदार नि.ग्राम दुधी भू-स्वामी	553/1/35	0.650	0.140
	योग	1	0.650	0.140
16	गंगाराम पिता गणपत जाति बेलदार नि.ग्राम दुधी भू-स्वामी	553/1/38	0.900	0.462
	योग	1	0.900	0.462
17	सन्तोष, संजू पिता कनीराम, ममता पुत्री कनीराम, रेखामबाई देवा कनीराम जाति बेलदार नि.ग्राम दुधी भू-स्वामी	553/1/51	1.000	0.500
	योग	1	1.000	0.500
18	सुरेश पिता गांगीलाल, रेखाबाई पति सुरेश जाति मेहतर नि. ग्राम परसुलिया भू-स्वामी	553/1/17	0.700	0.250
	योग	1	0.700	0.250
19	रामचरण पिता किशनलाल जाति गाडरी नि.ग्राम परसुलिया	553/12/1	0.632	0.139
	योग	1	0.632	0.139
20	रामसिंह पिता शम्भू जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया भू-स्वामी	553/1/49	0.650	0.180
	योग	1	0.650	0.180
21	रामप्रसाद पिता कन्हैयालाल, देवबाई पति रामप्रसाद जाति चमार नि. ग्राम परसुलिया भू-स्वामी	553/1/13	0.700	0.250
	योग	1	0.700	0.250
22	कमलसिंह पिता बदीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम दुधी भू-स्वामी	553/1/44	0.650	0.300
	योग	1	0.650	0.300
23	अशोक पिता बाबु जाति मेहतर नि.ग्राम परसुलिया भू-स्वामी	553/1/45	0.650	0.250
	योग	1	0.650	0.250
24	भारतसिंह पिता चन्दरसिंह, ममताबाई पति भारतसिंह जाति बेलदार नि.ग्राम दुधी भू-स्वामी	553/1/42	0.650	0.150
	योग	1	0.650	0.150
25	कन्हैयालाल पिता धुल्या, शैतानबाई पति कन्हैयालाल जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया भू-स्वामी	553/1/48/2	0.500	0.240
	योग	1	0.500	0.240
कुलयोग :-		25	24.036	8.052

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि :- ग्राम माधोपुरा				
1	रामनरेश पिता गोपीलाल जाति गाडरी निवासी ग्राम समेली	4/2 4/3 4/4 4/5 4/6	0.764 0.189 0.189 0.190 0.253	0.380 0.140 0.145 0.125 0.200
	योग	5	1.585	0.990
2	रामसिंह पिता पन्नालाल जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	7/4	0.418	0.380
	योग	1	0.418	0.380
3	अमरसिंह पिता पन्नालाल जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	7/3	0.210	0.090
	योग	1	0.210	0.090
4	भंवरलाल, नारायणसिंह, फतेसिंह पिता बापूलाल, सम्पतवाई बैवा बापूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	3/1/5/1	1.428	0.820
	योग	1	1.428	0.820
5	होकमसिंह पिता रोड़जी जाति काछी निवासी ग्राम किशनपुरिया	105/1/1/3	1.286	0.240
	योग	1	1.286	0.240
6	पर्वतसिंह पिता रोड़जी जाति काछी निवासी ग्राम किशनपुरिया	105/1/1/2	0.767	0.100
	योग	1	0.767	0.100
7	पार्वतीबाई पति वीरमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	90/1 91/2	0.040 0.076	0.040 0.076
	योग	2	0.116	0.116
8	प्रेमसिंह पिता रायसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	3/1/1/1/1 13/1/4 14/2/1	0.314 0.020 0.014	0.090 0.020 0.014
	योग	3	0.348	0.124
9	विजयसिंह पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	10/2/1 9/1/1 9/2/1 14/2/2 15/1/3 38/2/3	0.115 0.025 0.015 0.075 0.012 0.253	0.070 0.025 0.015 0.060 0.006 0.150
	योग	6	0.495	0.326
10	भंवरलाल पिता अनारसिंह, शिवनारायण पिता विजयसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	91/1 3/1/1/1/3	0.324 0.662	0.075 0.080
	योग	2	0.986	0.155

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
11	रोड़जी पिता रायसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	14/1/4 15/1/2 75/1	0.010 0.020 0.430	0.010 0.012 0.100
	योग	3	0.460	0.122
12	गीताबाई स्वपति नाथूलाल, जसवन्त, जितेन्द्र ना.या.पिता नाथूलाल सर. माता गीताबाई स्वपति नाथूलाल, भूलीबाई पिता निर्भयसिंह हि.50 पै. भंवरलाल, नारायणसिंह, फतेसिंह पिता बापूलाल, सम्पतबाई देवा बापूलाल हि.50 पै. जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	77/90 93/189	0.025 0.076	0.025 0.076
	योग	2	0.101	0.101
13	कुमरसिंह पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	10/1/2 11/2/3 11/3/2 12/1/1 12/2/1 12/1/2 12/2/2 13/1/3 13/1/5 14/1/3 15/1/1 38/2/1/1	0.021 0.063 0.064 0.027 0.050 0.088 0.097 0.020 0.040 0.024 0.019 0.118	0.021 0.040 0.030 0.015 0.025 0.040 0.045 0.020 0.020 0.010 0.005 0.065
	योग	12	0.631	0.336
14	हीरालाल पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	10/2/2 10/1/1 11/1/2 13/1/1 13/2 14/1/1 15/2/1 38/2/4/1 3/5/3	0.075 0.156 0.059 0.017 0.101 0.021 0.025 0.223 0.117	0.075 0.135 0.020 0.017 0.050 0.021 0.010 0.130 0.090
	योग	9	0.794	0.548
15	जगन्नाथ पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	9/1/2 9/2/2 12/1/3 12/2/3 13/1/2 14/1/2 15/2/2 38/2/5	0.038 0.036 0.100 0.055 0.017 0.021 0.026 0.253	0.038 0.036 0.075 0.025 0.017 0.021 0.012 0.100
	योग	8	0.546	0.324
16	रामबाबू पिता विजयसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	15/178	0.076	0.030
	योग	1	0.076	0.030
17	नाथूलाल पिता निर्भयसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	10/179 8/4	0.076 0.190	0.050 0.030
	योग	2	0.266	0.080

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
18	नारायणसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	8/2	0.063	0.025
	योग	1	0.063	0.025
19	फतेसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	8/3	0.063	0.025
	योग	1	0.063	0.025
	कुल योग :-	62	10.639	4.932

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

पत्र क्र. 2394-भू-अर्जन-2019

राजगढ़, दिनांक 9 मार्च 2019

प्रारंभिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में खण्डारबेह जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ खण्डारबेह जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

खण्डारबेह जलाशय

तहसील - खिलचीपुर

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
	निजी भूमि खण्डारबेह जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	
1	ग्राम-मोतीपुरा की भूमि	12.286
2	ग्राम-खण्डारबेह की भूमि	3.714
	योग	16.000

(1) खण्डारबेह तालाब के ग्राम मोतीपुरा की निजी भूमि प्रभावित होने से

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	गंगाराम, खेमा, रामचन्द्र पिता नाथू पुरालाल, डूंगर, भवरीया पिता किशोर गंगाबाई बेवा किशोर जा. चमार	104/35	0.190	0.190
		104/36	0.251	0.251
		104/48	0.328	0.328
	योग	3	0.769	0.769
2	कनीराम, मांगीलाल पिता धुलजी लोडा	41,42/1	0.056	0.056
		43/1	0.156	0.156
	योग	2	0.212	0.212
3	हरीबगस पित धीसा लोडा	239/104	0.393	0.393
	योग	1	0.393	0.393
4	पुरीलाल पिता रामसिंह नन्दुबाई पति रामसिंह जा. लोडा	35	0.267	0.267
	योग	1	0.267	0.267
5	भंवरलाल पिता गंगाराम लोडा	36/1	0.456	0.455
	योग	1	0.456	0.455

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	मूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली मूमि का रकबा	
1	2	3	4	5	
6	शिवसिंह पिता छीता लोडा हि.1/2 मांगीलाल किशन मंथरी बेवा किशन लोडा हि 1/2	37	0.012	0.012	
		38	0.012	0.012	
		80/1	0.114	0.144	
		80/2	0.113	0.113	
		250/104/1	0.582	0.432	
		250/104/2	0.583	0.422	
		39/1	0.057	0.057	
		39/2	0.056	0.056	
		40/1	0.348	0.348	
		40/2	0.348	0.348	
	योग	10	2.225	1.944	
7	मांगीलाल,फूलचन्द पिता गंगाराम लोडा	43/2	0.157	0.157	
		87/2	0.270	0.270	
		योग	2	0.427	0.427
8	कवरलाल,गोरधन,अमरसिंह पिता शंकरलाल दोलीबाई बेवा शंकरलाल जाति लोडा	43/3	0.157	0.157	
		योग	1	0.157	0.157
9	मुकचनबाई बेवा पन्नालाल मदनलाल पुरसिंह पिता पन्ना लोडा	34/1/1	0.265	0.265	
		78/3	0.109	0.109	
		योग	2	0.374	0.374
10	मांगीलाल पिता हरलाल लोडा	34/1/2	0.265	0.012	
		203/104/2	0.057	0.057	
		योग	2	0.322	0.069
11	रामलाल पिता जगन्नाथ लोडा	34/2/1	0.028	0.020	
		236/104/1	0.060	0.060	
		48	0.356	0.110	
		88/1	0.129	0.129	
		योग	4	0.573	0.319
12	कवरलाल पिता अमरा लोडा	47/3	0.250	0.220	
		योग	1	0.250	0.220
13	भेरु पिता अमरा लोडा	47/2	0.249	0.177	
		योग	1	0.249	0.177
		योग	1	0.249	0.177
14	कवरलाल,रामस्वरूप,राजाराम पिता बापूलाल,प्रमबाई पत्नि बापूलाल,रेशमबाई पत्नि बापूलाल मेथीबाई, अनारबाई, ममताबाई, चन्द्रकला पुत्री बापूलाल कस्तुरीबाई बेवा मांगीलाल लोडा नि. मोतीपुरा	45	0.405	0.405	
		69	0.559	0.040	
		84	0.138	0.138	
		83	0.065	0.065	
		82	0.304	0.304	
	योग	5	1.471	0.952	

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
15	देवसिंह, देवीलाल पिता नन्दा लोडा	70	0.380	0.150
		93/2	0.178	0.178
	योग	2	0.558	0.328
16	पुरा, नारान पिता कालू लोडा	93/1	0.178	0.178
		91	0.132	0.132
		92/1		
	योग	3	0.310	0.310
17	रामलाल, भेरिया, कनीराम, हजारी पिता जगन्नाथ लोडा	89	0.053	0.030
	योग	1	0.053	0.030
18	रामचन्द्र पिता ही. ज लोडा	74	0.024	0.024
		75		
		203/104/1	0.057	0.057
		235/104/1	0.132	0.132
	योग	4	0.213	0.213
19	देवा पिता खेमा किशन पिता कनीराम लोडा	77	0.024	0.024
	योग	1	0.024	0.024
20	चम्पा पिता कालू लोडा	78/1	0.072	0.072
	योग	1	0.072	0.072
21	चम्पा पिता कालू जडावबाई पुत्री कालू लोडा	79/1	0.079	0.079
	योग	1	0.079	0.079
22	मु. हीराबाई बेवा पुरीलाल, मांगीलाल अमरलाल, बापूलाल, राधेश्याम पिता पुरीलाल लोडा	79/2	0.080	0.080
		76/2	0.022	0.022
	योग	2	0.102	0.102
23	अमरलाल, गोपीलाल, कस्तुरीबाई बेवा गोपीलाल	79/3	0.080	0.080
		76/3	0.022	0.022
	योग	2	0.102	0.102
24	रामचन्द्र पिता नाथु चमार	104/23/6	1.173	1.000
	योग	1	1.173	1.000
25	लालसिंह पिता श्रीलाल मु. भुलीबाई बेवा श्रीलाल जाति लोडा	46/1	0.235	0.235
		238/104	0.166	0.166
		204/104	0.190	0.190
		214/104	0.077	0.077
	योग	4	0.668	0.668
26	मदनलाल पिता पन्नालाल जाति लोडा	178/104/3	0.165	0.165
	योग	1	0.165	0.165

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
27	जगन्नाथ पिता उंकार लोडा	235/104/2	0.131	0.131
		78/2	0.110	0.110
	योग	2	0.241	0.241
28	भेरू पिता जगन्नाथ लोडा	236/104/2	0.060	0.060
		88/2	0.129	0.129
	योग	2	0.189	0.189
29	कनीराम पिता जगन्नाथ लोडा	236/104/3	0.060	0.060
		88/3	0.130	0.130
	योग	2	0.190	0.190
30	हजारी पिता जगन्नाथ लोडा	236/104/4/4	0.059	0.059
		88/4	0.130	0.130
	योग	2	0.189	0.189
31	दोलतराम पिता मानसिंह लोडा	237/104	0.166	0.166
	योग	1	0.166	0.166
32	भवरलाल पिता धीसा हि.1/2 गंगाराम आठमानसिंह हि.0 1/2 लोडा	90/1	0.160	0.160
		86/1	0.170	0.170
	योग	2	0.330	0.330
33	कमलीबाई पति भवरलाल लोडा	90/2	0.079	0.079
		86/2	0.085	0.085
	योग	2	0.164	0.164
34	कंवरलाल,गोरखन,अमरसिंह,पिता शंकरलाल दोलीबाई बेवा शंकरलाल लोडा	87/1	0.135	0.135
	योग	1	0.135	0.135
35	करणसिंह हरकचन्द्र पिता भवरलाल नि.ग्रा.	202/104	0.190	0.020
	योग	1	0.190	0.020
36	चम्पा,प्रभु पिता कालू जंडाव पुत्री कालू जाति लोडा नि.ग्राम	76/1	0.021	0.021
	योग	1	0.021	0.021
37	भवरलाल पिता गंगाराम जाति लोडा नि.	44/1	0.107	0.107
	योग	1	0.107	0.107
38	बापुलाल पिता खेमा जाति चमार नि.ग्राम	104/23/7	1.173	0.913
	योग	1	1.173	0.913
		74	14.359	12.286
खण्डारबेह				
39	बजसिंह पिता मांगीलाल बक्सू पिता उंकार	35	0.821	0.821
		36	0.659	0.659
		37	0.154	0.154
		50/70	0.405	0.405
		50/99	0.028	0.028
	योग	5	2.067	2.067
40	रतन,प्रभु,कालीबाई पिता रामसिंह लोडा	38	0.934	0.720
	योग	1	0.934	0.720
41	मांग्या पिता नन्दा गोपी पिता प्यारा	50/118	0.773	0.523
	योग	1	0.773	0.523
42	मांग्या पिता नन्दा जाति लोडा	50/71	0.482	0.404
	योग	1	0.482	0.404
	कुल योग	8	4.256	3.714
	महायोग	82	18.615	16.000

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के

प्रकरण क्रमांक अ-82-भू-अर्जन-2017-18

राजगढ़, दिनांक 30 मई 2019

अनुसूची

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम शिवपुरा जागीर के लिए एफ.टी.एल तक डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-1 की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची :- (1)

भूमि का वर्णन

(क) जिला - राजगढ़

(ख) तहसील - नरसिंहगढ़

(ग) ग्राम - शिवपुरा जागीर

(घ) क्षेत्रफल - 15.229

पार्वती सिंचाई परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम सेवांस जागीर

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4
	शिवपुरा जागीर	22.703	15.229
	कुल योग :-	22.703	15.229

अनुसूची :- (2)

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	7
1	आनीसखा पिता उमरखा मु. सुगराबी बेवा उमरखा जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	89/1	0.063	0.032
	योग	1	0.063	0.032
2	समसुददीन खा फरस खा भरे खा अजीज खा पिता बाबूखा, मु. शतानबी बेबा बाबूखा जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	148/2	0.040	0.040
	योग	1	0.040	0.040
3	शरीफ पिता काले खाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	89/3	0.126	0.012
		89/4	0.063	0.022
	योग	2	0.189	0.034
4	बहीदखा पिता चादखा जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	89/6	0.126	0.025
	योग	1	0.126	0.025
5	हिम्मत खा पिता नत्थे खा जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	103/2	0.202	0.202
	योग	1	0.202	0.202
6	नवी खा पिता वासे खा जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	102/1/1	0.570	0.101
	योग	1	0.570	0.101
7	बहीद खा पिता घीसे खाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	179/2	0.057	0.057
		180/2	0.019	0.019
	योग	2	0.076	0.076
8	अताफ खा पिता सुबान खाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	107/1	0.050	0.050
		135/4	0.487	0.487
	योग	2	0.537	0.537

9	शिराब खाँ पिता सुबान खाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	107/2	0.051	0.051
	योग	1	0.051	0.051
10	राजउददीन खाँ पिता रशीद खाँ निवासी ग्राम भू स्वामी	108/1	0.025	0.025
		108/2	0.026	0.026
		145/1	0.050	0.050
	योग	3	0.101	0.101
11	हबीब पिता नसीर जाति मेवाती नि. ग्राम भूमि स्वामी	109	0.253	0.041
	योग	1	0.253	0.041
12	रहीम खाँ हबीब खाँ पिता भोले खाँ जेतून बी शौतान बी पति भोले खाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	110	0.038	0.010
		111/1	0.114	0.114
		149	0.126	0.126
	योग	3	0.278	0.250
13	दालत खाँ पिता क खाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	153/2	0.095	0.095
	योग	1	0.095	0.095
14	सेफउददीन ताजउददीन आजादउददीन सफउददीन पिता इज्जत खाँ मजैरून बी बेवा इज्जत खाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	153/1	0.095	0.095
		221	0.152	0.152
		222	0.620	0.566
		223/1	0.164	0.164
	योग	4	1.031	0.977
15	बहादुरखाँ पिता चादखाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	150/3	0.042	0.042
		226	0.569	0.445
		228/1/1	0.232	0.121
	योग	3	0.843	0.608
16	भाउद्दीन खाँ पिता ईशाक खाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	119/1	0.337	0.337
	योग	1	0.337	0.337
17	रउफ खाँ पिता ईशार खाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	119/2	0.030	0.030
		120	0.063	0.063
		121	0.089	0.089
		122/4	0.155	0.155
	योग	4	0.337	0.337
18	निजरमउद्दीन पिता ईशाक खाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	122/1	0.032	0.032
		139/1	0.794	0.750
		140/1	0.281	0.281
		123	0.304	0.304
	योग	4	1.411	1.367
19	ताजडीन खाँ पिता ईशाक खाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	122/2	0.336	0.336
		139/2	0.935	0.885
		140/2	0.140	0.140
	योग	3	1.411	1.361
20	जफरुद्दीन खाँ पिता ईशाक खाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	122/3	0.337	0.337
		140/3	0.060	0.060
		139/3	0.205	0.205
	योग	3	0.602	0.602
21	बाबूलाल पिता सुखराम जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	124/1	0.721	0.202
	योग	1	0.721	0.202
22	मु बानो बी वेवा ईशाक खाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	124/2	0.013	0.013
	योग	1	0.013	0.013
23	सलीमउद्दीन पिता अनिस खाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	126	0.885	0.101
	योग	1	0.885	0.101
24	नसीबखाँ पिता सुबानखाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	148/1	0.120	0.120
	योग	1	0.120	0.120
25	भारत पिता नारान जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	136/1/5	0.358	0.358
	योग	1	0.358	0.358

26	अमरसिंह पिता शकरलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	136/1/6	0.365	0.365
	योग	1	0.365	0.365
27	मोहनलाल ना.बा. पिता हीरा सर. माता चम्पौबाई हीरा जाति वृजा पता निवासी ग्राम भू स्वामी	136/3	0.379	0.101
	योग	1	0.379	0.101
28	हबीब खां पिता नजर खां जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	136/4	0.379	0.300
	योग	1	0.379	0.300
29	मदनलाल पिता सुखराम जाति जाटव निवासी ग्राम भू स्वामी	137/1/2	0.606	0.101
	योग	1	0.606	0.101
30	शहजादखॉ ना.बा. सप. पिता अब्दुलसलाम पिता गफूरखॉ जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	143/1	0.639	0.639
		144	0.164	0.164
		145/2	0.051	0.051
	योग	3	0.854	0.854
31	रमजानी खॉ असरुद्दीन खॉ पिता शेर खॉ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	143/2	0.803	0.650
	योग	1	0.803	0.650
32	ईब्राहीम खॉ अनीस खॉ याकूब खॉ शकर खॉ पिता अनामत खॉ पीर खॉ अमीर खॉ पिता रहमान खॉ सकीला बी बेवा रहमान खॉ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	159	0.306	0.250
		154	0.025	0.025
		155	0.013	0.013
		157	0.013	0.013
		158/1	0.082	0.082
	योग	5	0.439	0.383
33	मुन्ना खॉ पिता कालेखॉ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	215/3	1.265	0.566
	योग	1	1.265	0.566
34	जेतुनी बेवा जहानखॉ सत्ताउदीन खॉ आसीन असलम शाहरुक पिता जहान खॉ जाति मेवाती पता नि ग्र भू स्वामी	215/4/1	0.810	0.081
	योग	1	0.810	0.081
35	गफूर खॉ पिता नजर खॉ जाति मेवाती नि.ग्र.भूमि स्वामी	224/2	0.076	0.041
		216	1.189	0.790
		217	1.607	1.575
		219	0.076	0.076
		220	0.215	0.215
		152	0.190	0.126
	योग	6	3.353	2.823
36	जहीद मलिक पिता अब्दुल समद जाति मेवाती नि. अफजल कालोनी धरम काटा एस.न. 153 बी भोपाल	228/1/2	0.358	0.121
	योग	1	0.358	0.121
37	अकला बी पाल्त्र अब्दुल सलाम जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	228/2	0.169	0.141
	योग	1	0.169	0.141
38	लौलाकिशन, नारायणसिंह, शकरलाल, बट्टोलाल पिता धन्नादेवकरण दुर्गाप्रसाद राजाराम पिता बापूलाल निवासी ग्राम भू स्वामी	210	0.253	0.089
	योग	1	0.253	0.089
39	रसीद खॉ पिता घीसे खॉ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	180/1	0.019	0.019
		179/1	0.057	0.020
	योग	2	0.076	0.039
40	सुलमान खॉ फकरुद्दीन खॉ दाऊद खॉ दानमोहम्मद खॉ पिता याकूब खॉ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	158/3	0.047	0.047
	योग	1	0.047	0.047
41	सलीमउद्दीन पिता आनिस खॉ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	158/2	0.041	0.041
	योग	1	0.041	0.041
42	मेहमदुल हसन पिता अब्दुल हमीद खॉ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	150/2	0.042	0.042
	योग	1	0.042	0.042
43	मेहबूब खॉ पिता कल्लू खॉ जाति मेवाती पता नि ग्राम भू स्वामी	151/2	0.082	0.082
	योग	1	0.082	0.082
44	दाउद खॉ पिता याकूब खॉ जाति मेवाती पता नि ग्राम भू स्वामी	211	0.506	0.181
	योग	1	0.506	0.181
45	ताजउदीन खॉ पिता फकरुद्दीन खॉ जाति मेवाती पता नि ग्र भू स्वामी	215/4/2	0.809	0.080
	योग	1	0.809	0.080
46	शकर खॉ पिता चुबानखॉ जाति मेवाती पता नि ग्र भू स्वामी	148/3	0.040	0.030
	योग	1	0.040	0.030
47	नसीरखॉ पिता मोतीखॉ जाति मेवाती पता नि ग्र भू स्वामी	150/1	0.042	0.042
	योग	1	0.042	0.042
48	लियाकतखॉ पिता कल्लूखॉ जाति मेवाती पता नि ग्र भू स्वामी	151/1	0.082	0.082
	योग	1	0.082	0.082
49	सकीला बेवा रहमानखॉ जाति मेवाती पता नि ग्र भू स्वामी	182/5	0.253	0.020
	योग	1	0.253	0.020
	महायोग		22.703	15.219

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक अ-82-2018-10-262

राजगढ़, दिनांक 30 मई 2019

अनुसूची

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम बडनगर के लिए एफ.टी.एल तक डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-1 की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची :- (1)

भूमि का वर्णन

(क) जिला - राजगढ़

(ख) तहसील - नरसिंहगढ़

(ग) ग्राम - बडनगर

(घ) क्षेत्रफल - 7.948

पार्वती सिंचाई परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम बडनगर

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
1	2	3	
	बडनगर .	31.124	7.948
	कुल योग :-	31.124	7.948

अनुसूची :- (2)

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	7
1	मांगीलाल पिता नन्दराम जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	354/1/6	0.890	0.153
		356/2	0.506	0.100
	योग	2	1.396	0.253
2	गोरीलाल पिता केवलराम जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	354/1/8	0.298	0.298
	योग	1	0.298	0.298
3	पीरखा अकबर खां इशाक खां मुस्ताक खां पिता इब्राहिम खां ही 90 पै सुलेमान छन्नु पिता मुंशी खां बातून बी बेवा अनामत खां नजीर खां बबलू जेबुन बी बेगम बी सुबीना बी पिता अनामत खां सलमा बी बेवा गफफार खां अरमान मुस्कान बी ना बा पिता गफफार खां स प माता सलमा बी 90 पै जाति फकीर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	356/6/1	1.306	0.253
	योग	1	1.306	0.253
4	अजीज खां एहमदनुर पिता रमजान खां शाजाबी, कुरेशा बी, शेरुण बी पुत्रीया रमजान खां जाति फकीर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	356/6/2	2.500	0.610
	योग	1	2.500	0.610
5	लक्ष्मीवारायण घनश्याम अवधनारायण पिता चतुर्भुज जाति देशवाली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	309/1/1	1.973	0.880
	योग	1	1.973	0.880
6	पारी बाई पति प्रेमलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम पिलुखेडी भूमि स्वामी	309/1/2	0.885	0.100
	योग	1	0.885	0.100
7	गीता बाई पति भगवान सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम पिलुखेडी भूमि स्वामी	309/2	1.012	0.506
	योग	1	1.012	0.506

8	राजेखां पिता न्याजखां जाति मुसलमान पता निवासी तारावली कला तहसील बेरसिया भूमि स्वामी	310/1	1.391	0.253
	योग	1	1.391	0.253
9	कला बाई देवा जमनाप्रसाद राजेश पिता जमनाप्रसाद जाति देशवाली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	310/2	0.797	0.253
	योग	1	0.797	0.253
10	भारत सिंह पिता प्रभूलाल केशर बाई देवा प्रभूलाल जाति देशवाली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	310/3/1	1.682	0.494
	योग	1	1.682	0.494
11	देवेन्द्रसिंह पिता लालजी जाति सौधिया पता नि. मांडाखेड़ा नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	310/3/2	0.506	0.506
	योग	1	0.506	0.506
12	पुष्पा देवी पति राकेश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कुरावर भूमि स्वामी	307	3.136	0.100
	योग	1	3.136	0.100
13	चतुर्भुज पिता बाबर जाति देशवाली पता नि ग्राम भू स्वामी	311	1.581	1.000
	योग	1	1.581	1.000
14	भगवती बाई देवा सुखराम लक्ष्मीनारायण लखनलाल पिता सुखराम जाति देशवाली पता नि ग्राम भू स्वामी	312/2	0.651	0.379
	योग	1	0.651	0.379
15	बद्रीप्रसाद पिता हरिनारायण जाति देशवाली पता नि ग्राम भू स्वामी	313/1	0.670	0.051
	योग	1	0.670	0.051
16	श्रीमति गायत्री शर्मा पति मुकेश कुमार जाति ब्राह्मण पता नि कुरावर भू स्वामी	313/2	1.391	0.100
	योग	1	1.391	0.100
17	कमलाबाई पति रामप्रसाद जाति बंजारा पता नि ग्राम भू स्वामी	313/3/1	0.759	0.051
	योग	1	0.759	0.051
18	अतुल अग्रवाल पिता रमेशचन्द्र जाति महाजन नि इन्दौर राहुल मित्तल पिता संतोष मित्तल जाति महाजन पता नि भोपाल भू स्वामी	313/3/2	0.418	0.051
	योग	1	0.418	0.051
19	अतुल अग्रवाल पिता रमेशचन्द्र जाति महाजन नि इन्दौर भू स्वामी	313/4	0.632	0.051
	योग	1	0.632	0.051
20	भूलीबाई पुत्री हीरा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	415/197/1	0.344	0.344
	योग	1	0.344	0.344
21	हीराबाई देवा बंशीलाल, रमेश सोरमबाई पिता बंशीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम पीलूखेडी भूमि स्वामी	415/197/5	1.557	0.015
	योग	1	1.557	0.015
22	गौरीलाल रुगनाथ नन्दराम नन्नु हजारी मदनलाल पिता भावसिंह जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	199/4	0.759	0.045
	योग	1	0.759	0.045
23	दयाराम पिता जगन्नाथ जाति देशवाली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	312/1/1	0.326	0.220
	योग	1	0.326	0.220
24	शिवनारायण पिता जगन्नाथ जाति देशवाली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	312/1/2	0.326	0.115
	योग	1	0.326	0.115
25	बरखतखां पिता सूखेखां जाति फकीर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	302/1	4.008	0.200
	योग	1	4.008	0.200
26	कल्लू, शरीफ, भूरे पिता छोटे खां जाति फकीर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	297/1/1	0.820	0.820
	योग	1	0.820	0.820
	महायोग		31.124	7.948

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक अ-82-2018-19-265

अनुसूची

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में सुन्दरपुरा तालाब तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की ग्राम सुन्दरपुरा एवं बागरीपुरा की डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-1 की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची :- (1)

भूमि का वर्णन

(क) जिला - राजगढ़

(ख) तहसील - ब्यावरा

(ग) ग्राम - सुन्दरपुरा एवं बागरीपुरा

(घ) क्षेत्रफल - 31.505

सुन्दरपुरा तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम सुन्दरपुरा एवं बागरीपुरा

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4
1	सुन्दरपुरा	47.288	31.285
2	बागरीपुरा	2.540	0.220
	कुल योग :-	49.828	31.505

अनुसूची :- (2)

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	रिमांक
1	2	3	4	5	6
1	देवचन्द्र पिता नारान रामसिंह ना. बा. माता. तंतबाई बेवा नारान जाति मेहतर पता नि. ग्राम भू स्वामी	23/11	0.506	0.211	
	योग	1	0.506	0.211	
2	बद्री आ गंगाधर जाति गाडरी पता नि. ग्राम भू स्वामी	28/1	0.506	0.346	
	योग	1	0.506	0.346	
3	रमेश आ नन्दराम जाति गाडरी पता नि. ग्राम भू स्वामी	28/2	0.506	0.197	
	योग	1	0.506	0.197	
4	प्रेमसिंह आ रामलाल जाति सौध्या पता नि. ग्राम भू स्वामी	29/2	0.506	0.253	
	योग	2	1.328	0.951	
5	मानसिंह आ प्रेमसिंह जाति सौध्या पता नि. ग्राम भू स्वामी	29/3/1	0.854	0.436	
	योग	33	0.974	0.974	
6	मंजुबाई पति मांगीलाल जाति सौध्या पता नि. ग्राम भू स्वामी	29/3/2	1.359	0.488	
	योग	1	1.359	0.488	
7	देवचन्द्र पिता प्यारा जाति चमार पता नि. ग्राम भू स्वामी	29/4	2.023	0.864	
	योग	1	2.023	0.864	
8	भंवरलाल पिता धूलजी भगवानसिंह पिता नारानसिंह जाति सोदिया पता नि. ग्राम कुण्डीखेडा भू स्वामी	30	1.265	0.418	
	योग	1	1.265	0.418	

9	मांगीलाल पिता दोलजी जाति सोधिया पता नि. ग्राम भू स्वामी	31	0.936	0.936
		32	1.126	1.126
		34	1.063	1.063
	योग	3	3.125	3.125
10	मांगीलाल पिता प्यारजी जाति सौध्या पता नि. ग्राम भू स्वामी	43	1.543	0.300
		योग	1	1.543
11	लक्ष्मीनारायण पर्वत पिता रंगलाल धीसीबाई पुत्री रंगलाल जाति नाई पता नि. ग्राम भू स्वामी	44	0.228	0.120
		45	0.746	0.100
		योग	2	0.974
12	प्रेमबाई, धापूबाई पिता गोपीलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भू स्वामी	48	1.366	0.962
		योग	1	1.366
13	कृष्णलालसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	50	0.114	0.114
		योग	1	0.114
14	शुभमसिंह परमार पिता महेशचन्द्रसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	51	1.972	1.972
		योग	1	1.972
15	रामदयालसिंह पिता शिवदयालसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	52/1	0.091	0.091
		54/1	0.841	0.841
		योग	2	0.932
16	विक्रमसिंह पिता शिवदयालसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	52/2	0.369	0.369
		योग	1	0.369
17	महेन्द्रसिंह पिता शिवदयालसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	52/3	0.091	0.091
		54/2	0.841	0.841
		योग	2	0.932
18	राजेन्द्रसिंह पिता शिवदयालसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	52/4	0.952	0.792
		योग	1	0.952
19	गिरीराजसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	53	0.860	0.860
		योग	1	0.860
20	देवरजसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	55	0.632	0.632
		योग	1	0.632
21	नारानसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	56	2.162	2.162
		योग	1	2.162
22	विवेकसिंह पिता रणविरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	57	2.162	2.162
		योग	1	2.162
23	कृ. रणविरसिंह पिता हिममतसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	59/1	2.970	2.970
		योग	1	2.970
24	हरेन्द्रसिंह पिता रणविरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	59/2	3.000	3.000
		योग	1	3.000
25	भंवरलाल शिवनारायण रामलाल पिता मांगीलाल कमलाबाई जमनीबाई पुत्री मांगीलाल छीतर पिता पून्या जाति लोदा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	60	0.506	0.396
		योग	1	0.506
26	हरिसिंह आ रामलाल नोरंगबाई प. हरिसिंह जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	62	0.379	0.260
		63	0.316	0.316
		योग	2	0.695
27	धीरपसिंह आ. मांगीलाल, अजबबाई प. धीरजसिंह जाति भील पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	64/1	0.600	0.160
		योग	1	0.600
28	पूनमचन्द्र आ. माधूजी, अनारबाई पत्नि पूनमचन्द्र जाति भील पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	64/2	0.600	0.072
		योग	1	0.600
29	हेमराज आ. जालम जाति भील पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	64/3	0.600	0.240
		योग	1	0.600
30	सुरेश आ. प्रेमसिंह जाति भील पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	64/4	0.600	0.260
		योग	1	0.600

31	भंवरलाल आ. रतनलाल जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	64/5	0.600	0.260	
	योग	1	0.600	0.260	
32	कंवरलाल आ. चेना, चन्दाबाई प. कंवरलाल जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	64/6	0.600	0.190	
	योग	1	0.600	0.190	
33	जगदीश आ. बदीराम, कलावाई प. जगदीश जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	64/8	0.600	0.058	
	योग	1	0.600	0.058	
34	मांगीलाल आ. प्रभु, रेशमबाई प. मांगीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	81/2	0.666	0.470	
	योग	1	0.666	0.470	
35	रामप्रसाद आ. बन्हीलाल, कान्तीबाई प. रामप्रसाद जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	81/3	0.667	0.270	
	योग	1	0.667	0.270	
36	कंवरलाल पिता नाथूलाल, सीमाबाई पति कंवरलाल जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	81/4	0.667	0.270	
	योग	1	0.667	0.270	
37	मांगू आ देवजी, सुमित्राबाई प. मांगू जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	84/1	0.563	0.500	
	योग	1	0.563	0.500	
38	भंवरलाल आ नाथू, शान्तिबाई प. भंवरलाल जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	84/2	0.563	0.500	
	योग	1	0.563	0.500	
39	सरीफ बालिक सईद पिता अकबर ना.बा. माता रुस्तम पुत्र पीरु जाति फकीर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	96	0.240	0.100	
	योग	1	0.240	0.100	
40	रूपसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	97	0.240	0.013	
	योग	36	1.164	0.036	
	योग	2	1.404	0.049	
41	नारायणसिंह आ प्रेमसिंह जाति सौध्या पता नि. ग्राम भू स्वामी	35	1.404	0.358	
	योग	46	0.367	0.060	
	योग	2	1.771	0.418	
42	फून्दिआ पिता दोलाजी जाति नाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	42	1.960	0.107	
	योग	1	1.960	0.107	
	कुल योग	52	47.288	31.285	

ग्राम :- बागरीपुरा

1	चैनसिंह पिता प्रभुलाल जाति लोदा पता नि. ग्राम सुन्दरपुरा भूमि स्वामी	36/1	1.022	0.020	
	योग	1	1.022	0.020	
2	राजू आ नन्तूलाल जाति लोदा पता नि. ग्राम भू स्वामी	36/2/1	1.518	0.200	
	योग	1	1.518	0.200	
	कुल योग	2	2.540	0.220	
	महायोग	54	49.828	31.505	

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावसा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 मई 2019

क्र. 459-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम जमुनी की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छूटे हुए आंशिक रकवें का ही अर्जन किया जा रहा है. इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्योहारी	जमुनी	0.600	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्र. 3 देवलौद, जिला-शहडोल (म. प्र.).	बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 16 मई 2019

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 07-अ-82-2018-19-2693.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	कल्याणपुर	0.830	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर छ. ग.	अनूपपुर-कटनी रेल खण्ड के तीसरी लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर छ. ग. एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर जिला शहडोल म. प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 06-अ-82-2018-19-2694.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	बरकछ	0.493	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग, रीवा, (म. प्र.).	बरकछ-ब्यौहारी मार्ग में झापर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग, रीवा (म. प्र.) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर जिला जयसिंहपुर (म. प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शेखर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

	(1)	(2)
कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,	57	0.001
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं	132	0.002
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	130	0.135
	126	0.032
रीवा, दिनांक 14 मई 2019	127	0.026
	125	0.017
पत्र. क्र. 449-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को	123	0.024
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद		
(1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि	81	0.247
की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन,	82	0.116
पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का	83	0.125
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा,	84	0.094
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित	104	0.004
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	103	0.031
	102	0.038
अनुसूची	100	0.105
(1) भूमि का वर्णन—	98	0.113
	91	0.086
(क) जिला—सतना	659	0.078
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान	44	0.047
(ग) ग्राम—कूद	42	0.057
(घ) क्षेत्रफल—6.459 हेक्टेयर.	41	0.057
खसरा नम्बर	38	0.004
	39	0.002
(1)	40	0.096
अ—निजी पट्टे की भूमि	34	0.008
19	33	0.056
16	32	0.043
15	30	0.011
13	28	0.320
10	22	0.001
12	27	0.033
11	26	0.038
45	25	0.201
49	206	0.249
50	235	0.037
52	236	0.033
53	237	0.002
54	238	0.091
55	239	0.028
56	240	0.002

(1)	(2)	की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—			
241	0.128	अनुसूची			
242	0.138				
274	0.154				
226	0.073				
225	0.060				
224	0.294				
219	0.090				
218	0.103				
217	0.007				
505	0.014				
504	0.178				
513	0.011				
514	0.147				
515	0.004			(1) भूमि का वर्णन—	
533	0.047				
512	0.172	खसरा नम्बर अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)			
534	0.017				
510	0.086				
509	0.015				
535/1	0.201				
535/2	0.046				
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . .	6.296			(1)	(2)
ब. म. प्र. शासन की भूमि				अ—निजी पट्टे की भूमि	
511	0.001			72	0.003
9	0.071			71	0.050
128	0.017			79	0.018
221	0.038			69	0.035
51	0.036			80	0.201
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	0.163			81	0.026
अ-ब का योग . . .	6.459	90	0.100		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 27” में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		91/667/2	0.094		
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		91	0.033		
		93	0.020		
		94	0.090		
		96	0.104		
		100	0.080		
		101	0.100		
		107	0.062		
		108	0.067		
		109	0.060		
		110	0.031		
		258	0.118		
		257	0.013		
		256	0.054		
		259	0.006		
पत्र. क्र. 451-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि		223	0.024		
		312	0.055		

(1)	(2)
262	0.015
312	0.040
315	0.058
314	0.023
299	0.053
293	0.149
606	0.051
603	0.076
602	0.040
601	0.038
596	0.008
595	0.068
592	0.030
590	0.060
591	0.023
586	0.083
581	0.010
582	0.230
584	0.011
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.510
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ-ब का योग . .	2.510

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 21” में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र. क्र. 453-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम—चोरमारी
(घ) क्षेत्रफल—0.268 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

1921	0.052
1920	0.067
1925	0.098
1914	0.010

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.227

ब—म. प्र. शासन की भूमि

1916	0.026
1915	0.015

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.041

अ-ब का योग . . 0.268

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 27” में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 16 मई 2019

क्र. दस-भू-अर्जन-7-अ-82-2011-12-2019-2692.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2 शहडोल म. प्र. के प्रस्ताव के आधार पर धमनी सिंचाई योजना के नहर में प्रभावित ग्राम कंदोहा की निजी भूमि क्षेत्रफल 3.453 हेक्टर की

आवश्यकता होने पर भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 3556 दिनांक 28 सितम्बर 2012 में एवं धारा 6 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 4375 से 4377 दिनांक 28 दिसम्बर 2012 में अधिसूचना का प्रकाशन कराया गया था.

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्तमान समय में आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 101 के अनुसार अर्जित की गई भूमि के अनुपयोगी होने से भूमि सम्बन्धित भू-स्वामी के नाम वापस किये जाने बावत् डि-नोटिफिकेशन (अन-अधिसूचित) की अधिसूचना प्रकाशित की जाती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—बुढ़ार
(ग) ग्राम—कदौँहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—3.453 हेक्टर नहर क्षेत्र.

खसरा नंबर

रकबा
(हेक्टर में)

(1)

(2)

50

0.056

51

0.056

52/1

0.010

52/2

0.010

72

0.044

77

0.197

79/1

0.036

80/1

0.032

80/2

0.032

80/3

0.033

85/1

0.051

85/2

0.077

87/1

0.005

(1)

(2)

87/2

0.005

89

0.115

101/1

0.006

101/2

0.007

101/3

0.007

102/1

0.003

104/1

0.017

102/5/1

0.003

104/5/1

0.017

102/5/2

0.003

104/5/2

0.018

102/5/3

0.003

104/5/2

0.018

102/5/4

0.003

102/6/1

0.003

102/6/2

0.003

102/6/3

0.003

145

0.086

155/1

0.020

180/1

0.043

181/1

0.006

180/2

0.043

181/2

0.006

156

0.104

157/1

0.081

157/2

0.082

159/1

0.041

179/2

0.004

182/2

0.038

179/3

0.004

182/3

0.038

183

0.012

184

0.121

(1)	(2)	(1)	(2)
185	0.024	179/1	0.004
186	0.101	182/1	0.038
296	0.031	340/4	0.031
203/1	0.020	342	0.010
292/5	0.020	341/1	0.150
302/2	0.020	383/3	0.010
292/6	0.020	341/2	0.015
302/3	0.020	383/1	0.010
400/1	0.034	341/3	0.015
292/2	0.020	383/2	0.010
302/4	0.020	292/4	0.020
292/3	0.020	302/6	0.020
302/5	0.020	292/1	0.020
400/2	0.020	305/1	0.040
102/2	0.003	305/2	0.040
104/2	0.017	305/3	0.009
102/3	0.003	380	0.010
104/3	0.017	381	0.072
102/4	0.003	383/4	0.071
104/4	0.017	387	0.108
306	0.030	388	0.010
307	0.090	399/2	0.069
336/1	0.073	404	0.077
336/2क	0.036	405	0.077
336/2ख	0.036	कुल रकबा . .	<u>3.453</u>
340/1	0.031		
340/2	0.031		
340/3	0.031		
160	0.012		
159/2	0.044		
178/1	0.025		
178/2	0.026		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता नहीं है—धमनी सिंचाई योजना के नहर में प्रभावित भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा), सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शेखर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 3 जून 2019

पत्र क्र. 265-भू-अर्जन-2019-प्र. क्र. 02-अ-82-18-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील—उदयपुरा

(ग) ग्राम—पिपरिया पुआंरिया, बम्होरी भुआंरी, घाना बहेड़िया, बेरखेड़ी, तिखावन, शाहपुरा, निवाड़ी, भाड़ोन, केतोधान, खाड़ोन, आंवरिया एवं सिहोरा डुगरिया.

(घ) भूमि का क्षेत्रफल—6.285 हेक्टेयर.

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
पिपरिया पुआंरिया	436	1.238
	434	0.930
	507/3/2	0.821
	504/2/2	0.821
	519/2	1.218
	518/2/2	0.497
	564	0.995
	146/1	1.821
	133/5/1	0.174
	133/5/2	0.174
	133/6	1.231
	482	1.153
	409	0.886
	407/1/2	0.032
	407/2	0.405
	408/2	0.166
	407/3	0.405

(1)

(2)

(3)

	408/1	0.170	0.032
	407/1/1	0.105	0.005
	402/2/2/2	0.267	0.003
	400/2	0.405	0.004
	401/2	0.202	0.019
	402/1	0.449	0.016
	402/2/1	0.809	0.015
	402/2/2/1	0.809	0.001
	369	2.197	0.091
	368/2/2	1.311	0.011
	512/3	0.934	0.066
बम्होरी भुआंरी	234/1/2/1	0.809	0.162
घाना बहेड़िया	17/3	0.178	0.038
	71/1	1.214	0.082
	71/2	0.963	0.079
	132/1/1/1	0.225	0.070
	126	1.129	0.083
	12/1/1	1.316	0.084
	12/1/2	0.303	0.028
	9/3	1.619	0.076
	77/1/2	0.891	0.007
	113/1	0.809	0.053
	109/4	1.775	0.117
	222/1/1	0.737	0.033
	240	2.489	0.060
	249/2	0.202	0.020
बेरखेड़ी	122/1/2	1.039	0.007
	121/1	2.917	0.026
	109/4	0.608	0.077
	103/2	1.214	0.054
	97/1	3.034	0.097
	98	1.104	0.077
	100	2.711	0.148
	102	2.714	0.002
	101	2.687	0.112
	109/2	1.214	0.002
	109/5	1.619	0.077
तिखावन	43/1/1/1	0.223	0.030
	202	1.850	0.101
	199	0.271	0.040
	321/1/1/1	1.043	0.001
	111	2.189	0.193
	112/2	1.375	0.062
	113/2/1	1.369	0.082
	113/1	2.222	0.047
	112/1	0.514	0.030

(1)	(2)	(3)
	113/2/2	2.733
	128/1	3.238
	345/2	1.295
शहपुरा	14/3/1	1.214
	14/2	1.416
	41/2	3.504
	49/3	2.967
निवाड़ी	91	15.046
	91	15.046
	69/1	8.413
	284/1	1.756
	293/1/1	0.809
	293/1/2	0.405
	26/2	0.809
	31/1	4.051
	84/1	0.948
भाड़ौन	44/4/2	0.227
	44/4/1	0.227
	44/5	0.226
	44/9	0.453
	9	0.498
	8/1	0.337
	6/1/4	2.286
	20/2	0.980
	19/1	0.980
केतोघान	128/1	0.571
	124/1	2.319
	124/2	2.315
	124/3	2.315
	145/1	0.568
	335/2	1.427
खाड़ोन	1	3.257
	2/2	1.113
	26/1	0.809
	27/1	3.270
आवंरिया	50/1/2	0.405
	50/3	0.760
	56/2/1/1	0.360
	56/2/1/2	0.607
	61/1/1/1/1/2	0.202
	64/1/1	1.903
	64/1/2	0.905
सिहोरा डुगरिया	179/4/2	1.193
	159/2	4.493

पिपरिया पुआंरिया, बम्होरी भुआरी, घाना बहेड़िया, बेरखेड़ी, तिखावन, शाहपुरा, निवाड़ी, भाड़ौन, केतोघान, खाड़ोन, आंवरिया, एवं सिहोरा डुगरिया.

(3) भूमि का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी बरेली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

पत्र. क्र. 266-भू-अर्जन-2019-प्र. क्र. 01-अ-82-18-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील—उदयपुरा

(ग) ग्राम—केतोघान

(घ) भूमि का क्षेत्रफल—1.745 हेक्टेयर.

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
9/1/2	2.213	0.050
9/1/1/1	1.409	0.023
9/1/1/2	0.809	0.024
9/2	0.809	0.030
10	1.144	0.037
11/1	1.408	0.084
11/2	1.412	0.077
12	3.238	0.271
29/2/2	0.809	0.061
29/2/1	1.214	0.101
29/3/2/1/1	3.035	0.073
29/3/2/2	1.011	0.032
29/3/2/1/2	2.023	0.096
29/3/1/1/1/1	15.601	0.032
30/1	0.191	0.016
30/2	0.558	0.055
30/3	0.372	0.040
31	2.274	0.115
32/2/1/2	0.405	0.113

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बारना विस्तारीकरण नहर परियोजना हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम

(1)	(2)	(3)				
			357	1.708	0.076	
32/2/1/1	0.809	0.109	356	1.708	0.070	
32/2/2	0.607	0.028	328/2	0.609	0.013	
51/2	1.109	0.109	103/2	5.666	0.150	
51/1	1.105	0.016	82/5	1.509	0.036	
32/1/2/1	0.809	0.057	84	9.510	0.128	
157/2/1	0.202	0.012	118/1/2	2.428	0.151	
157/1	1.000	0.068	118/2	1.214	0.106	
196	0.696	0.016	118/5/1	2.040	0.016	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बारना विस्तारीकरण नहर परियोजना हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम केतोघान.			बरहा कला	37/3	2.987	0.024
				102	2.100	0.021
			सिवनी	73/1	4.617	0.020
(3) भूमि का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी बरेली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.				75/1	1.619	0.035
				42	3.950	0.117
				69/1	0.708	0.030
				187	1.651	0.022
				70	1.170	0.055
				71/2	1.133	0.059
				73/1	4.617	0.110
				80/3	0.800	0.036
				182	1.193	0.080
			ऊंटिया कलां	525/1/1	2.230	0.105
				527/1	0.849	0.089
				528/2	1.295	0.069
				610/2	1.619	0.003
				590/4	1.368	0.002
			अलीगंज	114/3	2.194	0.098
				104/1	3.488	0.060
				104/2	3.485	0.102
				224/1	1.619	0.078
				232/1	2.023	0.105
				233/2/1	1.012	0.048
				236/2	1.862	0.090
				236/1	1.618	0.080
				236/3	1.230	0.200
				240/1/1	0.709	0.030

पत्र. क्र. 267-भू-अर्जन-2019-प्र. क्र. 03-अ-82-18-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील—बरेली

(ग) ग्राम—छबारा, बरहा कलां, सिवनी, ऊंटिया कलां एवं अलीगंज.

(घ) भूमि का क्षेत्रफल—3.088 हेक्टेयर.

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)	
(1)	(2)	(3)	
छबारा	110/2	1.339	0.166
	145	0.372	0.081
	458/1	1.829	0.171
	453/3	1.704	0.136
	447/2/1	2.424	0.004
	232/3	0.666	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बारना विस्तारीकरण नहर परियोजना हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम छबारा, बरहा कलां, सिवनी ऊंटिया कलां एवं अलीगंज.

(3) भूमि का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी बरेली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

षणमुख प्रिया मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.